

प्रस्तावना

जिला चमोली का पूरा क्षेत्र वर्ष 1960 तक कुमाँयू डिविजन के जनपद पौड़ी गढ़वाल का एक हिस्सा था। इस क्षेत्र में इसके पूर्व विभिन्न शासकों का अधिपत्य निम्नानुसार था:—

आठवीं शताब्दी तक	नन्द, मौर्य, कुशाण मोखरी, वर्धन, आदि वंशों का प्रभुत्व।
आठवीं शताब्दी से 11वीं सताब्दी के मध्य तक	कत्यूरी नरेशों का शासन, जोशीमठ में राजधानी शंकराचार्य का आगमन।
11वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं सताब्दी के लगभग अन्त तक	कुमाँयू के चंद वंश व गढ़वाल के पाल वंश का शासन।
12वीं शताब्दी के अन्त से 13वीं शताब्दी के मध्य तक	नेपाली शासन।
13वीं शताब्दी के मध्य से 1760 तक	स्थानीय रियासतों— राजा गढ़वाल कादिल पाल (दामाद राजा जो मालवा के थे) अजयपाल (जिसने आस पास का क्षेत्र जीता) पंवार राजा अजयपाल का वंश—कुमाँयू राज्यों से लड़ाई पिण्डर घाटी में कुमाँयू राजाओं का बीच-बीच में अधिपत्य। रोहिल्लों द्वारा भी दोनों राजाओं को पछाड़ा गया।
सन 1790 से 1815	नेपाली शासन— गोरखों का आगमन— 1804 से गोरखा राज्य।
1815 से 1947	ब्रिटिश शासन।
1947 से 2000	उत्तर प्रदेश शासन।
2000 से अब तक	उत्तराखण्ड शासन।

सुरक्षा की भावना सर्वव्यापक है। समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए विभिन्न चरणों को पार करता हुआ आधुनिक पुलिस तन्त्र अस्तित्व में आया है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के पूर्व ग्राम प्रधान व उसके ऊपर थोकदार के पास पुलिस अधिकार थे। ग्राम प्रधान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार था, व थोकदार – ग्राम प्रधान के कार्यों का पर्यवेक्षण करता था, और सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था। थोकदार ही फैसले भी सुनाता था, जिसमें आर्थिक दण्ड मुख्य रूप से सजा के रूप में दिया जाता था।

वर्ष 1815 में ब्रिटिश शासन गढ़वाल में स्थापित हुआ किन्तु पर्वतीय क्षेत्र में अपराध नगण्य होने के कारण यहां पुलिस थानों की आवश्यकता नहीं समझी गयी। कमिश्नर कुमायू में ही अन्य विभागों के अतिरिक्त पुलिस के अधिकार निहित कर दिये गये थे। आरम्भ में श्रीनगर में रखी गयी सेना की टुकड़ियों द्वारा ही आन्तरिक सुरक्षा व पुलिस व्यवस्था का कार्य देखा गया। गांव की पुलिस व्यवस्था प्रधान को सौंपी गयी प्रधान और सरकारी अधिकारियों के मध्यवर्ती थोकदार (अर्द्धशासकीय) की भी पुलिस प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका बनी रही, बाद में थोकदारों द्वारा पुलिस अधिकारों के दुरुपयोग करने पर उनके अधिकार छीन लिए गये।

ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ में गांव की भूमि व्यवस्था व राजस्व वसूली हेतु पटवारियों की नियुक्ति की गयी, जिससे राजस्व की काफी वृद्धि हुई। पटवारियों को ही पुलिस व्यवस्था की भी जिम्मेदारी सौंपी गयी। क्योंकि एक तो गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्र में अपराध कम थे, दूसरे इस व्यवस्था से कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं था। एटकिन्सन ने 1880 में लिखा है कि मैदान की पुलिस व्यवस्था इस प्रदेश के लिए सर्वत्र अनुपयुक्त है।

चमोली में वर्ष 1889 में तहसील का मुख्यालय बना व डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति हुई।

प्रधान व थोकदार के अधिकार कुमायू रूल्स 1894 के रूल्स 49 व अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के 6 के अनुसार थे। सैक्सन 6 अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के अनुसार डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, पैशकार, कानूनगो (दफ्तरी) पटवारी को अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकार भी दिये गये थे, इस व्यवस्था में पटवारी एक क्षेत्र विशेष, जिसमें लगभग 60 से 80 ग्राम होते थे, के ऊपर अपने अन्य अधिकारों के साथ पुलिस सम्बन्धी ड्यूटियों के लिए भी जिम्मेदार था, और उसे वह बाद में थानाध्यक्ष के रूप में अधिकारों का प्रयोग अपने क्षेत्र में करने के लिए जिम्मेदार हो गया इसलिए इस व्यवस्था को पटवारी पुलिस व्यवस्था कहा जाता है।

कुमायू डिवीजन में वर्ष 1837 में अल्मोड़ा में तथा वर्ष 1893 में नैनीताल व रानीखेत में पुलिस स्टेशन खोले गये थे। रानीखेत ही उस समय इस जनपदीय क्षेत्र के लिए निकटतम थाना था, यात्रा सीजन में यात्रा मार्ग में रेगुलर पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जाती थी और ग्राम चौकीदार भी पेट्रोलिंग में लगाये जाते थे। क्योंकि यात्रा के समय लूट की घटनायें प्रकाश में आने लगी थी। 1920 के वन आन्दोलन के बाद रेगुलर पुलिस की आवश्यकता विशेष रूप से महसूस होने लगी और कुमायू डिवीजन में इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर सहित अन्य पुलिस बलों की बढ़ोत्तरी की गयी। और इसका मुख्यालय नैनीताल में पुलिस अधीक्षक, कुमायू डिवीजन के अधीन रखा गया और इस जनपदीय क्षेत्र में जोशीमठ व ऊखीमठ में थानों की एवं श्री बद्रीनाथ, चमोली, कर्णप्रयाग, मैहलचोरी, में चौकी की स्थापना की गयी थी। वर्ष 1938 में जोशीमठ के स्थान पर बद्रीनाथ में थाना स्थापित किया गया, यद्यपि बाद में पुनः कुछ वर्षों बाद जोशीमठ को बद्रीनाथ के स्थान पर पुनः थाना बनाया गया । उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 4097/आठ-390-39 लखनऊ दिनांकित नवम्बर 12-1938 द्वारा निर्देशित किया गया कि शासन यद्यपि कटिबद्ध है कि राजस्व पुलिस को पहाड़ों पर रखा जाय किन्तु थाना बद्रीनाथ के अर्न्तगत जोशीमठ व माणा के अलावा यात्रा रास्तों की दोनों तरफ की चट्टियां

पुलिस के अधीन होंगी। वर्ष 1938 में कुमायू डिवीजन में कुल 17 थाने थे और इस जनपदीय क्षेत्र में थाना बद्रीनाथ व ऊखीमठ थे, एवं जोशीमठ, चमोली व कर्णप्रयाग थाना बद्रीनाथ की चौकियां थी, इसके बाद पुलिस का क्षेत्र सैने-सैने बढा और 1960 में थाना चमोली व कर्णप्रयाग थानों की स्वीकृति प्राप्त हुई और 1963 में शासनादेश द्वारा कई ग्रामों को भी पुलिस के अधीन रखा गया किन्तु आज भी जनपद का 4/5 से अधिक भौगोलिक क्षेत्र राजस्व पुलिस के अधीन है।

इस प्रकार जनपद में दो तरह की पुलिस व्यवस्थाएँ हैं। मुख्यतः नगरीय क्षेत्र जिसकी कुल आबादी की 2001 की जनगणना के अनुसार 1,83,745 एवं सड़क के किनारे व आसपास के कुल 285 गांव उनकी कुल जनसंख्या लगभग 1,86,614 है, पुलिस अधिकार क्षेत्र में है जो कुल जनसंख्या का 84.58 प्रतिशत है। जबकि भौगोलिक क्षेत्र मात्र लगभग 7,519 वर्ग किमी⁰ है जो जनपद की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10 प्रतिशत है।

उत्तरांचल सरकार द्वारा पुलिस को और अधिक संगठित एवं मजबूत करने की दृष्टि से रिपोर्टिंग पुलिस चौकी थराली को उच्चिकृत करके थाना तथा राजस्व क्षेत्र की पोखरी तहसील के 22 गाँवों को सम्मिलित करते हुए शासनादेश संख्या- 1542/ बीस(1)70/पु0ई0नि0/2003 दिनांक 7.7.06 को द्वारा थाना पो,खरी की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

चमोली – एक दृष्टि में

1–	भौगोलिक क्षेत्रफल: – 7,519.55 वर्ग किमी ⁰	
	(1) राजस्व पुलिस का क्षेत्रफल:– 5,657.70	
	(2) नियमित पुलिस का क्षेत्रफल:– 1,861.85	
2–	कुल जनसंख्या: –	3,70,359
	(1) राजस्व पुलिस क्षेत्र की जनसंख्या:–	2,12,862
	(2) नियमित पुलिस क्षेत्र की जनसंख्या:–	1,57,497
	(3) पुरुषों की संख्या:–	1,86,614
	(4) महिलाओं की संख्या:–	1,94,745
	(5) ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या:–	1,83,745
	(6) नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या:–	1,86,614
	(7) अनुसूचित जाति:–	67,539
	(8) अनुसूचित जनजाति:–	10,484
	(9) पिछड़ी जाति:–	10092
3–	लिंग अनुपात	
	(1) पुरुष:–	1000
	(2) महिलाएं:–	1017
4–	जनपद में कुल ग्रामों की संख्या: –	1,256
	(1) राजस्व पुलिस क्षेत्र के ग्राम:–	933
	(2) नियमित पुलिस के ग्राम:–	323
5–	ग्राम सभायें: –	601
6–	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी⁰: –46	
	(1) राजस्व पुलिस क्षेत्र में:–	3762
	(2) नियमित पुलिस क्षेत्र में:–	84.58
7–	तहसील: –	06
	(1) चमोली (2) जोशीमठ (3) कर्णप्रयाग	
	(4) थराली (5) गैरसैंण (6) पोखरी	

8-	उपतहसील:-	01
	(1) घाट	
9-	ब्लाक (विकास खण्ड):-	09
	(1) जोशीमठ	(2) दशोली
	(3) घाट	(4) कर्णप्रयाग
	(5) नारायण बग्गड	(6) थराली
	(7) देवाल	(8) गैरसैण
	(9) पोखरी	
10-	नगर पालिका:-	02
	(1) गोपेश्वर चमोली	(2) जोशीमठ
11-	नगर पंचायत:-	03
	(1) नन्दप्रयाग	(2) कर्णप्रयाग
	(3) गौचर	(4) श्री बद्रीनाथ
12-	जिला पंचायत:-	01
13-	जिला पंचायत सदस्यों की संख्या-	27
14-	न्याय पंचायत सदस्यों की संख्या-	39
15-	क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या-	249
16-	ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या-	3,629
17-	कुल साक्षरता-	75.43
	(1) पुरुष-	89.66 प्रतिशत
	(2) महिला-	61.63 प्रतिशत
18-	कोषागार (गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, थराली)-	03
19-	उपकोषागार -	09
	(1) चमोली	(2) जोशीमठ
	(3) देवाल	(4) गैरसैण
	(5) नारायण बग्गड	(6) पोखरी
	(7) घाट	

20-	वर्षा सामान्य-	1208.60 मि०मी०
	वर्षा वास्तविक-	699.20 मि०मी०
21-	तापमान उच्चतम-	34.00 से०ग्रे०
	तापमान न्यूनतम-	1.60 से०ग्रे०

22- शिक्षा

(1)	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय-	02
(2)	महाविद्यालय-	04
(3)	राजकीय इण्टर कालेज-	32
(4)	राजकीय बालिका इण्टर कालेज-	03
(5)	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-	156
(6)	राजकीय बा० उ० मा० विद्यालय-	09
(7)	जूनियर हाई स्कूल-	322
(8)	प्राथमिक विद्यालय शासकीय-	1142
(9)	प्रा० वि० मान्यता प्राप्त-	117

23- हैलीपैड-

1-बद्रीनाथ (आर्मी)	2-जोशीमठ(आर्मी)	07
3-गोपेश्वर(पुलिस मैदान)	4-गौचर (मेला मैदान)	
5-गौचर(पूठचे)	6-घाघरिया	
7-औली(पूठच्छे)	8-माणा	

24- हवाई पट्टी-

गौचर	01
------	----

25- चिकित्सालय-

1- एलोपैथिक- 27	2- आयुर्वेदिक- 61	88
-----------------	-------------------	----

26- संसदीय सीट- 01 (गढ़वाल)

27- विधान सभा सीट-

1- बद्रीनाथ	2- कर्णप्रयाग	03
3- पिण्डर		

- 28- थाने 07**
- (1)-कर्णप्रयाग (2)-जोशीमठ (3)-चमोली
(4)-गोपेश्वर (5)-बद्रीनाथ (6)-पोखरी
(7)-थराली
- 29-रिपोर्टिंग पुलिस चौकी- 06**
- (1)-मण्डल (थाना गोपेश्वर)
(2)-मलारी (थाना जोशीमठ)
(3)-लामबगड(थाना जोशीमठ)
(4)-मारवाडी (थाना जोशीमठ)
(5)-घांघरिया (थाना जोशीमठ)
(6)-मेहलचौरी (थाना कर्णप्रयाग)
(7)- गौचर (जनपद स्तर पर)
- 31-पुलिस चौकी / देख-रेख चौकी- 15**
- (1)-नन्द्रप्रयाग (थाना चमोली)
(2)-पीपलकोटी (थाना चमोली)
(3)-हनुमानचट्टी (थाना बद्रीनाथ)
(4)-हेलंग(थाना जोशीमठ)
(5)-गोविन्दघाट (थाना जोशीमठ)
(6)-सुराईथोटा (थाना जोशीमठ)
(7)-बाजार जोशीमठ (थाना जोशीमठ)
(8)-पाण्डुकेश्वर (थाना जोशीमठ)
(9)-गौचर (थाना कर्णप्रयाग)
(10)-ग्वालदम (थाना थराली)
(11)-जुम्मा (थाना जोशीमठ)
(12)-टंगणी (थाना जोशीमठ)
(13)-देवाल (थाना थराली)
(14)-सिमली (थाना कर्णप्रयाग)
(15)-घाट (थाना चमोली)
(16)-मोहनखाल (थाना पोखरी)

मैनुअल संख्या-1

1-संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य:-

उत्तर प्रदेश सरकार
राजस्व (ग) विभाग
विज्ञापितसंख्या-904/1/
-100 क0 24 - 2 -
196024-2-1960

उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञापित दिनांक 24 फरवरी 1960 के द्वारा तत्कालीन गढ़वाल जिले की सीमाओं में परिवर्तन करते हुए चमोली जनपद का सृजन किया गया। जनपद सृजन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व (ग) विभाग विज्ञापित संख्या-904/1/-100 क0 24-2-1960 से चमोली जनपद में पुलिस कार्यालय का सृजन किया गया। शासनादेश संलग्न:- 1 पर है।

उत्तर प्रदेश शासन गृह
(पुलिस सेवाये) अनुभाग
-2 के अर्द्ध शा0 पत्र
संख्या: 3639/आठ- पु0
से0 - 2 - 512 (12)
72, दिनांक 22 नवम्बर
1983

जनपद चमोली के सृजन के समय जनपद में पुलिस विभाग का प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक प्रभारी थे, उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस सेवाये) अनुभाग-2 के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या: 3639 / आठ - पु0से0 - 2-512(12)72, दिनांक 22 नवम्बर 1983 के द्वारा जनपद के पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक का पद सृजित किया गया। संलग्न-2 पर है।

उत्तर प्रदेश शासन के
गृह विभाग (पुलिस ए)
के अधिसूचना
संख्या-4437/आठ-ए-
94/60 दिनांक
10-6-1963

उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग (पुलिस ए) के अधिसूचना संख्या-4437/आठ-ए-94/60 दिनांक 10-6-1963 में जनपद के थाना जोशीमठ में- 47, थाना चमोली में-55 थाना कर्णप्रयाग में-89 थाना उखीमठ में 82 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न थानों के सड़क मार्गों :- जोशीमठ में जोशीमठ से गरुड़ गंगा (तहसील

जोशीमठ की सीमा तक) जोशीमठ से माणा, जोशीमठ से नीती तथा थाना चमोली में चमोली से नन्द प्रयाग , चमोली से पीपलकोटी और तहसील जोशीमठ में प्रवेश विन्दु तक चमोली से पीपलकोटी तक पुल रास्ते को सम्मिलित करते हुए और चमोली से पांगरवासा, थाना कर्णप्रयाग में पाण्डुवाखाल कर्णप्रयाग से घोलतीर(कर्णप्रयाग तहसील की सीमा तक) कर्णप्रयाग से ग्वालदम और कर्णप्रयाग से नन्दप्रयाग, थाना उखीमठ में रूद्रप्रयाग से केदारनाथ और नाला से भुलकुमा (तहसील उखीमठ की सीमा तक) के सड़क मार्ग के दोनों तरफ 16 मीटर तक का क्षेत्र नियमित पुलिस के अधीन किया गया। संलग्न-3 पर है।

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह विभाग (पुलिस)
के विविध गजट
दिनांक 17 जुलाई
1967

तदोपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार गृह विभाग (पुलिस) के विविध गजट दिनांक 17 जुलाई 1967 के द्वारा थाना बद्दीनाथ का क्षेत्र निर्धारित किया गया जिसमें 16 ग्राम सम्मिलित किये गये तथा टिप्पणी अंकित की गई कि यदि उपर्युक्त मार्गों पर स्थित किसी चट्टी या धर्मशाला का भाग मार्ग के दोनों ओर 16 मीटर के भीतर आता है तो सम्पूर्ण चट्टी या धर्मशाला असैनिक पुलिस क्षेत्र के भीतर समझी जायेगी। संलग्न:-4 पर है।

प्रदेश सरकार गृह (पुलिस) अनुभाग-6 के
प्रकीर्ण दिनांक 5 जुलाई
1983

उत्तर प्रदेश सरकार गृह (पुलिस) अनुभाग-6 के प्रकीर्ण दिनांक 5 जुलाई 1983 के द्वारा थाना गोपेश्वर का क्षेत्र निर्धारित किया गया जिसमें 35 गांवों को सम्मिलित किया गया। संलग्न 5 पर है।

शासनादेश
संख्या-375पी/छ:-पु0-
6-93-300 37/68
दिनांक 27 1993 नवम्बर

थाना रूद्रप्रयाग जो पूर्व में पौड़ी के क्षेत्रान्तर्गत था शासनादेश संख्या-375पी/छ:-पु0-6-93-300 37/68 दिनांक 27 नवम्बर 1993 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के पुलिस नियंत्रण से हटाकर जनपद चमोली पुलिस के नियंत्रण में सौंपा गया।

उत्तर प्रदेश राजस्व
अनुभाग-5 की
अधिसूचना संख्या-2867
/1-5-97-323-97-रा
0-5 दिनांक
19-12-1997

उत्तर प्रदेश राजस्व अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-2867/1-5-97-323-97-रा0-5 दिनांक 19-12-1997 से जनपद चमोली की तहसील रूद्रप्रयाग और उखीमठ जिला टिहरी गढ़वाल की उप तहसील जखोली और पौड़ी जनपद की तहसील श्रीनगर की वचणस्यूं पट्टी के क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए रूद्रप्रयाग नामक एक नव जनपद का सृजन किया गया जिसके फलस्वरूप जनपद चमोली के थाना उखीमठ एवं रूद्रप्रयाग जनपद रूद्रप्रयाग में समाविष्ट हो गये। शासनादेश संलग्न परिशिष्ट-6 पर है।

आदेश संख्या:
सीओजी/सीए-11
8/97, दिनांक
15-11-97

जनपद रूद्रप्रयाग के सृजन होने के उपरान्त पुलिस उप महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, उत्तरांचल देहरादून के आदेश संख्या: सीओजी/सीए-118/97, दिनांक 15-11-97 के द्वारा थाना रूद्रप्रयाग एवं थाना ऊखीमठ/ पुलिस चौकी एवं जनशक्ति, वाहन संचार उपकरण, अस्त्र-शस्त्र रूद्रप्रयाग को स्थानान्तरित किये गए। संलग्न:-7

ऐतिहासिक उत्तराखण्ड आन्दोलन के फलस्वरूप दिनांक 9-11-2000 से देश के 27वें राज्य के रूप में पृथक उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में

आया जिससे पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य से पृथक होकर 13 जिले उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित हो गये जिसमें चमोली जनपद भी एक है।

उत्तरांचल शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-271/गृह-1/पुलिस चौकी हस्ता0/2002-2003, दिनांक 15-2-2003 एवं पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या :डीजी-एक-270(9)2003, दिनांक 23-8-2003

उत्तरांचल शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-271/गृह-1/पुलिस चौकी हस्ता0/2002-2003, दिनांक 15-2-2003 के द्वारा थाना कर्णप्रयाग, जनपद चमोली की पुलिस चौकी घोलतीर को जनपद रुद्रप्रयाग स्थानान्तरित करने के फलस्वरूप पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या :डीजी-एक-270(9)2003, दिनांक 23-8-2003 क द्वारा पुलिस चौकी घोलतीर जनपद रुद्रप्रयाग को स्थानान्तरित की गई । संलग्न-8

शासनादेश संख्या: 1542 / XX-(I) / 11 पु0ई0नि0 / 2003 दिनांक 7-7-2006 एवं शासनादेश संख्या: 1489/XX-(I) / 11 पु0ई0नि0 दिनांक 30-6-2006

पुलिस अधीक्षक चमोली की अधिकारिता में वर्ष-2006 में उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या: 1542/म.प.सं. / 11 पु0ई0नि0 / 2003 दिनांक 7-7-2006 के द्वारा जनपद में थाना पोखरी, थाना थराली, पुलिस चौकी देवाल, एवं पुलिस चौकी घाट तथा शासनादेश संख्या: 1489/म.प.सं. / 11 पु0ई0नि0 दिनांक 30-6-2006 द्वारा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी लामबगड, मारवाडी, घांघरिया, मण्डल, देख-रेख चौकी जुम्मा, टंगणी एवं सिमली की स्वीकृत प्रदान की गई है। शासनादेश एवं अधिसूचना संलग्न ,9,10,11,12,13 ,14, 15 एवं 16 पर है।

कार्मिक, लोक-शिकायत
और पेंशन मंत्रालय भारत
सरकार के की
अधिसूचना संख्या
11052/01/2004-अ.
भा0से0(पप)-क दिनांक
31दिसम्बर 2004

पुलिस विभाग का विशाल संगठन है। मुख्यतः यह विभाग शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये जाने के लिए उत्तरदायी है। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की भांति इस विभाग का संचालन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जाता है जो एक उच्च स्तरीय संस्था है। कार्मिक, लोक- शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के की अधिसूचना संख्या 11052 /01/2004-अ. भा0से0(पप)-क दिनांक 31 दिसम्बर 2004 के द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में उत्तरांचल शीर्ष क और उसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया गया। संलग्न 17 पर है।

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस)
अनुभाग-1 की
अधिसूचना संख्या -
2329 - 77
/8-1-7-75
लखनऊ : दिनांक :
27 जनवरी, 1976

उत्तर प्रदेश सरकार गृह (पुलिस)
अनुभाग-1 की अधिसूचना
संख्या-2329-77/8-1-7-75लखनऊ:
दि0 : 27 जनवरी, 1976 के द्वारा राजस्व
पुलिस के क्षेत्राधिकार में रखे गये क्षेत्रों में
केवल राजस्व पदाधिकारी ही पुलिस की
शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे अथवा
सिविल अथवा रेगुलर पुलिस को ऐसे क्षेत्रों
में शक्तियों के प्रयोग से वंचित रखा गया
है। संलग्न 18 पर है।

पुलिस कार्यालय अधिष्ठान/संगठन के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पुलिस लाइन/थानों/चौकियों/ रेडियो शाखा/अभिसूचना इकाई/लिपिक संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण:-

क्र सं०	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत अधि०/कर्म की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
राजपत्रित अधिकारी				
1	पुलिस अधीक्षक	01	01	—
2	पुलिस उपाधीक्षक	02	02	—
अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी नागरिक पुलिस शाखा				
1	निरीक्षक	07	02	05
2	उप निरीक्षक	23	21	02
3	हेड कान्स०	31	19	12
4	म०हे०कां०	05	01	04
5	कान्स०	333	179	154
6	म०कां०	35	36	—
सशस्त्र पुलिस शाखा				
1	प्रतिसार निरीक्षक	01	01	—
2	निरीक्षक स०पु०	—	—	—
3	उप०निरी० स०पु०	10	01	09
4	हेड कान्स० स०पु०/शैडो	56	33	23
5	हेड कान्स आरमोरर	01	—	—
7	कान्स० सशस्त्र पुलिस	198	152	46
8	उ०नि० यातायात	01	—	01
9	हेड कान्स० यातायात	04	—	04
10	कान्स० यातायात	20	05	15
11	कान्स० विगुलर	01	01	—
12	कान्स आरमोरर	01	02	—
परिवहन शाखा				
1	मुख्य आरक्षी एम०टी०	02	—	02
2	कान्स० चालक	10	11	—
लिपिक संवर्ग				
1	उ०नि०(एम) प्रधान	01	01	—

	लिपिक			
2	उ0नि0(एम) आंकिक	01	01	—
3	उ0नि0(एम) आशुलिपिक	01	01	—

क्र सं 0	अधिकारी / कर्मचारी का पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत अधि / क र्म की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
4	स0उ0नि0(एम)सहायक लिपिक	06	01	05
5	स0उ0नि0(एम)सहायक आंकिक	03	01	02
6	कान्स0(एम)	01	02	—
7	उर्दू अनुवादक	06	—	06
अग्निशमन एवं आपात सेवा				
1	अग्निशमन अधिकारी	02	02	—
2	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	02	02	—
3	लीडिंग फायर मैन	09	01	08
4	फायर सर्विस चालक	11	02	09
5	फायर मैन	54	48	06
अभिसूचना इकाई				
1	निरीक्षक	01	01	—
2	उप निरीक्षक	10	05	05
3	हेड कान्स0	15	02	13
4	कान्स0	22	11	11
चतुर्थ श्रेणी				
1	चतुर्थ श्रेणी जनपद	30	24	06
2	चतुर्थ श्रेणी अग्निशमन शाखा	06	06	—
रेडियो शाखा				
1	रेडियो निरीक्षक	01	—	01
2	रेडियो अनुरक्षण अधिकारी	02	02	—
3	रेडियो केन्द्र अधिकारी	05	01	04

4	प्रधान परिचालक यात्रिक	05	03	02
5	प्रधान परिचालक	29	14	15
6	सहायक परिचालक	11	14	—
7	सहायक कर्मशाला	01	—	01
8	सन्देश वाहक	07	06	01
9	कान्स ऑपरेटर	01	01	—
बम डिस्पोजल				
1	हेड कानि0	—	01	—
2	कानि0	—	02	—
ष्वान दल				
1	हेड कानि0 ष्वान दल	—	01	—
2	कानि0 ष्वान दल	—	01	—

जनपदीय पुलिस कार्यालय का संगठन

1. पुलिस अधीक्षक
2. पुलिस उपाधीक्षक
3. प्रधान लिपिक
4. आंकिक
5. आशुलिपिक
6. वाचक पुलिस अधीक्षक
7. जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो
8. शिकायत प्रकोष्ठ
9. विशेष जांच प्रकोष्ठ
10. मानवाधिकार सैल
11. स्थानीय अभिसूचना इकाई
12. महिला बाल एवं हैल्प लाइन
13. सूचना प्रकोष्ठ
14. समन शैल
15. सेवा का अधिकार सैल

जनपदीय पुलिस कार्यालय में निम्नवत् अनुभागों की एक श्रंखला है जिनमें कार्यरत सहायकों का विवरण निम्नवत् है:—

1—प्रधान लिपिक शाखा—

- 1—उप निरीक्षक(एम) प्रधान लिपिक
- 2—सहायक उप निरीक्षक(एम) चरित्र पंजिका लिपिक
- 3—सहायक उप निरीक्षक(एम) चरित्र पंजिका लिपिक
- 4—सहायक उप निरीक्षक(एम) दण्ड लिपिक
- 5— कान्स0 (एम) चरित्र सत्यापन लिपिक
- 6— कान्स0 (एम) रिकार्ड कीपर
- 7— कान्स0 (एम) डिस्पैचर

2—आंकिक शाखा:—

- 1-उप निरीक्षक(एम) आंकिक
- 2-सहायक उप निरीक्षक(एम) सहायक आंकिक
- 3-कान्स0 (एम)

3-आशुलिपिक शाखा-

- 1- उप निरीक्षक(एम) आशुलिपिक

4-वाचक शाखा

- 1-उप निरीक्षक ना0पु0(वाचक)
- 2-हेड कान्स0 ना0पु0 (पेशी)

5-जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो

- 1-प्रभारी जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो
- 2-हेड कान्स0
- 3-कान्स0

6-शिकायत प्रकोष्ठ

- 1-प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ

7-विशेष जांच प्रकोष्ठ-
प्रकोष्ठ

- 1-प्रभारी विशेष जांच

- 2-हेड कान्स0

- 3-कान्स0

8- मानवाधिकार सैल

- 1-प्रभारी सैल

- 2-हेड कान्स0

- 3-कान्स0

9-स्थानीय अभिसूचना इकाई

- 1-निरीक्षक

- 2-उप निरीक्षक

- 3-हेड कान्स0

- 4-कान्स0

10-महिला एवं बाल हैल्प लाइन
निरीक्षक

- 1-म0उप

- 2-म0कान्स0

11- सूचना प्रकोष्ठ-	1-प्रभारी प्रकोष्ठ 2-हेड कान्स0 3-कान्स0
12- समन सैल-	1-कान्स0
13- सेवा का अधिकार सैल- प्रकोष्ठ	1-प्रभारी 2-हेड कान्स0 3-कान्स0

(ब)कृत्य और कर्तव्य

जनपदीय पुलिस कार्यालय के उपरोक्त शाखाओं में उनके सम्मुख अंकित कार्यों का सम्पादन किया जाता है:-

1-प्रधान लिपिक शाखा:-

1-पुलिस विभाग में नियुक्त समस्त पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं एवं सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव, पत्र व्यवहार करना नियुक्ति, पदोन्नति, पेंशन, गार्ड फाइल पत्रावलियों का रखरखाव करना, पेंशन प्रकरण तैयार करना, विभागीय अभिलेखों को रिकार्ड रूम में व्यवस्थित रखना है, पुलिस कर्मियों द्वारा प्रस्तुत अपील/रिवीजन एवं रिट याचिकाओं सम्बन्धी कार्य, विभागीय कार्यवाही भूमि, भवन सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण आदि कार्य।

2-आंकिक शाखा:-

पुलिस कर्मियों के वेतन, यात्रा भत्ता देयक एवं अन्य भुगतान सम्बन्धी कार्य, कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि के पास बुकों एवं राजकीय रोकड बही का रखरखाव तथा भुगतान सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण आदि।

3-आशुलिपिक शाखा:-

अन्यत्र जनपदों/विभागों से प्राप्त पत्रों पर पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित कराना, गोपनीय/ व्यक्तिगत पत्रावलियों का रखरखाव करना, जनपद में आगमन करने वाले अति विशिष्ट/विशिष्ट महानुभावों के सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी आदेश निर्गत करना।

4-वाचक शाखा

अपराध पंजिकाओं का रख-रखाव, हिस्ट्रीशीट, मफरूरो आदि का अभिलेखों का रखरखाव, जनपद में घटित अपराधों का दैनिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक आंकड़ों का रखरखाव एवं उन्हें उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना। जनपद के अन्दर पुलिसकर्मियों का थाना/चौकियों/शाखाओं में स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य आदि।

5-जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो-

अपराध/ अपराधियों से सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव, गुमशुदा व्यक्तियों के सम्बन्ध तलाश सम्बन्धी कार्यवाही, सुनिश्चित करना, चोरी/बरामद सम्पत्ति से सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव करना, विभिन्न शीर्षकान्तर्गत कार्डों का रखरखाव करना। इस शाखा के अधीन कम्प्यूटर शाखा द्वारा अपराधों का सी0सी0आई0एस0 एम0 एल0ई0 के तहत डाटाकरण करना, दैनिक अपराध आख्या वेबसाइट के माध्यम से प्रेषित करना आदि।

6-शिकायत प्रकोष्ठ:-

शासन स्तर/मुख्यालय स्तर/मण्डल स्तर/जनपद स्तर एवं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों की जांच कर उनका निस्तारण करना।

7-विशेष जांच प्रकोष्ठ:-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित अपराध आकड़ों का रखरखाव तथा अपराध आकड़ों का पाक्षिक, मासिक एवं त्रैमासिक विवरण उच्चाधिकारियों को प्रेषण करने सम्बन्धी कार्य। इस वर्ग से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना एवं आर्थिक सहायता दिलाये जाने हेतु कार्यवाही आदि करना।

8-मानवाधिकार सैल:-

मानवाधिकार हनन से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों की जांच कर उनका निस्तारण करना।

9-स्थानीय अभिसूचना इकाई:-

अभिसूचना संकलन का कार्य, विदेशी पंजीकरण का कार्य, पाकिस्तानी नागरिकों/तिब्बती नागरिकों गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने सम्बन्धी कार्यवाही।

10-महिला एवं बाल हैल्प लाइन:-

महिलाओं की घरेलू समस्याओं का निदान करना है तथा उन्हें उपयोगी सलाह प्रदान करना ।

11- सूचना प्रकोष्ठ:-

सूचनाओं का निस्तारण एवं आदेश-निर्देशों का अनुपालन करना ।

12- सम्मन सैल-

न्यायालयों से प्राप्त आदेशिकाओं को तामील करवाना ।

11- सेवा का अधिकार सैल:-

सूचनाओं का निस्तारण करने संबंधी सूचना प्रेषित करना एवं आदेश-निर्देशों का अनुपालन करना ।

संलग्न-1

छवण १:34६गट६६

थतवउए

तप ळवअपदक छंतंपदए षैए
डनील बीपअ ज्व ळवअमतदउमदजए
न्जजंत चंकमीए

ज्वए

।स्स भंके वक्मचंतजउमदजे ।छव
ळभ्त् च्छ्छ्छ् ।स् भ ।वै वळ्छ्छ्
न्जजंत चंकमी

कंजमकरु स्नबादवूय डंतबी 8ए 1960

नइरमबजरु

ब्तमंजपवद वी जीतमम कपेजतपबजे वी बिंउवसपए
न्जजंतोपए दक च्यजीवतंहंती दक दमू क्पअपेपवद ।दवूद
न्जजंतोपए क्पअपेपवदए

पतए

ए उ कपतमबजमक जव मदबसवेम वित लवनत पदवतिउंजपवद
बवचल वी मंबी वी दवजपपिबंजपवद वद जीम नइरमबज दवजमक
इवअम;इवजी भ्पदकप दक म्दहसपौ अमतेपवदेद्ध चनइसपौमक पद जीम
ळंमजजम माजतंवतकपदंतलए कंजमकय थमइतनंतल 24ए 1960ए

लवनते पिजीनिससल
ळवट्छ्छ् छ ।त् ।ष्छ

उनील बीपअ

छवण ३:३४धग्दध्व वीकंजम
ब्वचल ववित्तिकमक जव सस कमचंतजउमदजे वीजीमैमबतमजंतपंज

ठल वतकमत
ळपेण ळन्च।
न्च बीपअ

ळट्टम्हडम्हण ७ न्ज | त च | वी
त्तम्हन् ; ब्द वन्च | त्जडम्हण

छवण १०४ध्व

कंजमक स्नबादवू थमइतंतल २४ए १९६०

छवणध्व | ज्ज

डपेबमससंदमवने

पद मगमतबपेम वति जीम चवूमते बवदमिततमक इल
मैबजपवद ११ वीजीम न्दपजमक च्त्वअपदबम संदक त्मअमदनम | बजए १९०१
; न्च | बज प् वी १९०१ध्व मगजमदकमक दक चचसपमक जव जीम
ज्ञानउंनद क्पअपेपवद जीतवनही जीम त्मअमदनम; | ध्व कमचंतजउमदज
दवजपपिबंजपवद दव ३१०९ध्व | कंजमक स्नबादवू ए व्वजवइमत १८य१९४७य
जीम ळवअमतदवत वी न्जजंत च्त्कमी पे चसमेमक जव बतमंजमए पूजी
मिभज तिवउ कंजम वीजीम चनइसपबंजपवद वीजीपे दवजपपिबंजपवद
दमू कपेजतपबजए बवउचतपेपदह तमें चमबपिमक पद जीमैबीमकनसमए
जव इम | दवूद क्पेजतपबज बैउवसप पूजी मींकुनंतजमते ज ळवचमीतए
इनज वति जीम चतमेमदज मींकुनंतजमते सस इम ज बैउवसप जपसस नबी
जपउम उंलए बवदेपकमतमक दमबबमैतलए दक जव सजमत पूजी मिभज
तिवउ जीम उम कंजम जीम सपउपजे वीजीम मगपेजपदह क्पेजतपबज वी
ळतीस वे जव बवउचतपेम जीम मगपेजपदह तमें मगबमचज जीवेम
उमदजपवदमक पद जीमैबीमकनसमए

छवजीपदह पद जीपे दवजपपिबंजपवद सस मिभज दल
समहंस चतवबममकपदह सतमंकल बवउउमदबमक वत चमदकपदह पद दल
बवनतजए पूबी पीपीमतजव मगमतबपेमक रनतपेकपबजपवद पद तमेचमबज
वीजीम पेक तमें

बीमकनसम

वैज्ज. ७ | डव्

छउमे वीभ्यसस चंजपे

1 ^प च्यदीदकं डंससं	15 ^प वौवसप ज्ससप
2 ^प च्यदीदकं ज्ससं	16 ^प ज्ससं बैदकचनत
3 ^प ठंउेन डंपीदकं	17 ^प त्दपहंती
4 डंसस ज्ञंसपचीज	18 ^प च्यदकंतचंत च्ससं
5 ज्ञंसपचंत	19 ^प च्यदकंतचंत ससं
6 ज्ससं ज्ञंसपचीज	20 ^प च्यदकमतूत च्ससं
7 ^प ज्ससं छंहचनत	21 ^प च्यदकमतूत ससं
8 ठंदक	22 ^प पतहनत
9 ^प वौवसप डंससप	23 ^प ज्ञंतांवज
10 छंदकां	24 ज्ञचपतप
11 ^प डंससं छंहचनत	25 ^प ठपबीसं बैदकचनत
12 ^प बैदकतौपसं	26 स्वीइं
13 ^प केरनसं	27 ^प ज्ञीदकंत
14 ^प ठपबीसं छंहचनत	28 डंससं बैदकचनत

;2इ
छवण 905ध्द

पद मगमतबपेम वति जीम चवूमते बवदमिततमक इल
मबजपवद 11 वी जीम न्दपजमक च्त्वअपदबम संदक त्मअमदनम ।बजए 1901
;न्च ।बज प्प वी 1901इ मगजमदकमक दक चचसपमक जव जीम
ज्ञानउंनद क्पअपेपवद जीतवनही जीम त्मअमदनम; इद क्मचंतजउमदज
दवजपपिबंजपवद दव 3109ध्द।कंजमक स्नबादवू ए व्बजवइमत 18य1947य
जीम छवअमतदवत वी न्जजंत च्त्कमौ पे चसमेमक जव बतमंजमए पूजी
मिबिबज तिवउ जीम कंजम वी चिनइसपबंजपवद वी जीपे दवजपपिबंजपवद
जीम वनित जीपसे वीवूदह पद बवसनउद दवण२ए बवउचतपेपदह जीम तमें
दक मींकुंनंतजमतेवैवूद हंपदेज मंबी जीपसए पद बवसनउदे दवेण 3 दक 4ए
तमेचमबजपअमसलए वी जीम वैबीमकनसम मीमतम जव चचमदकमकए पद जीम
कपेजतपबज वी बैउवसप ;बतमंजमक नदकमत त्मअमदनम क्मचंतजउमदज
दवजपपिबंजपवद दवण 904ध्दए कंजमक थमइतंनतल 24ए 1960इइण

छवजीपदह पद जीपे दवजपपिबंजपवद वीसस मिबिबज दल समहंस
चतवबममकपदह संतमंकल बवउउमदबमक वत चमदकपदह पद दल बवनतज
पुपबी पीजीमतजव मगमतबपेमक रनतपेकपबजपवद पद तमेचमबज वी जीम
पक तमें

वैबीमकनसम

प छवण	छंउमे वी जीपसे	छंउम वी भिसस चंजपे	भंंकुंनतजमते
1	बैउवसप	ठंदकए वौवसप डंससपए छंदकांए डंससं छंहचनतए बैकतौपसंए केरनससंए ठपबीसं छंहचनत	बैउवसप
2	श्रवौपउंजी	च्यदीदकं डंससंए च्यदीदकं ज्ससं	श्रवौपउंजी
3	नीपउंजी	ठंउेनए डंपीदकए डंसस ज्ञंसपजिए ज्ञंसपचंतए ज्ससं ज्ञंसपजिए ज्ससं छंहचनत	नीपउंजी
4	ज्ञंतदचतंलंह	वौवसप ज्ससपए ज्ससं	ज्ञंतदचतंलंह

		बिंदकचनतए डंसस बिंदकचनतए च्पदकंतचंत चंससंए च्पदकंतचंत ससंए तंदपहंतीए च्पदकंतूत चंससंए च्पदकमंतूत ससंए पतहनतए झंतांवजए झंचपतपए ठपबीसं बिंदकचनतए स्वीइंए झींदंत	
--	--	---	--

छवण 906ध्

पुद मगमतबपेम वति जीम चवूमते बवदमिततमक इलैमबजपवद 11 वी जीम न्दपजमक च्त्वअपदबम संदक त्मअमदनम ।बजए 1901 ंन्च ।बज प्प वी 1901द्ध ं मगजमदकमक दक च्चसपमक जव जीम ज्मीतप लंतीूस क्पअपेपवद जीतवनही जीम स्महपेसंजपअम क्मचंतजउमदज दवजपपिबंजपवद दव 3262 ;2द्धध्टप्.डमतहमतए कंजमक स्नबादवू ए छवअमउइमत 30य1949य जीम लवअमतदवत वन्जजंत च्चंकमी पे चसमेमक जव बतमंजमए पूजी मांमिबज तिवउ जीम कंजम वी चनइसपबंजपवद वी जीपे दवजपपिबंजपवदए दमू क्पेजतपबज बवउचतपेपदह जीम तमें च्मबपपिमक पद जीमैबीमकनसमए जव ।दवूद क्पेजतपबज न्जजंतौप पूजी मिकुनंतजमते ज न्जजंतौप दक जव संजमत पूजी मांमिबज वतिउ जीम उम कंजमए जीम सपउपजे वी जीम मगपेजपदह क्पेजतपबजे वी ज्मीतप लंतीूस व जव बवउचतपेम जीम मगपेजपदह तमें मगबमचज जीवेम उमदजपवदमक पद जीमैबीमकनसमए

छवजीपदह पद जीपे दवजपपिबंजपवद ीसस मिबज दल समहंस च्त्वबममकपदह सतमंकल बवउउमदबमक वत च्मदकपदह पद दल बवनतज पीपबी पीपजीमतजव मगमतबपेमक रनतपेकपबजपवद पद तमेचमबज वी जीम पक तमें

ैबीमकनसम
 क्पेजतपबज. न्जजंतौप
 छंउमे वी भ्यसस च्जजपे

1 ^ण जदवत	15 ^ण ठंदंस
2 ^ण छसकांजीनत	16 ^ण जीतंस
3 ^ण ठंतीज	17 ^ण ठंतावज
4 ^ण ठंतहंककप	18 ^ण लपजी
5 ^ण वेंहपीजंत	19 ^ण ठंरतप
6 ^ण ठपौज च्जजप	20 ^ण ठंदहंद
7 ^ण ठींदकतेलनद	21 ^ण पदहजनत
8 ^ण वींदतप	22 ^ण लंकनहंक
9 ^ण लंउतप	23 ^ण च्दबीहंपद
10 ^ण लंरदं झंजीनत	24 ^ण थंजमी च्चंइंज
11 ^ण क्पबीसप	25 ^ण ।जीवत
12 ^ण ठंतंसप	26 ^ण ठंकंन
13 ^ण डवहंतेंदजप	27 ^ण झंउंस तंपद
14 ^ण लवकंतींजंस	28 ^ण त्उं तंपद
29 ^ण ठंकपलंक	

छवण 907ध्द

पद् मगमतबपेम वति जीम चवूमते बवदमिततमक इल
 ैमबजपवद 11 वि जीम न्दपजमक च्त्वअपदबम र्दक त्मअमदनम ।बजए 1901
 ;न्च ।बज प्प वि 1901द्धे मगजमदकमक दक च्चसपमक जव जीम ज्मीतप
 ळंतीस क्पअपेपवद जीतवनही जीम स्महपेसंजपअम क्मचंतजउमदज
 दवजपपिबंजपवद दव 3262 ;2द्धध्टप्.डमतहमतए कंजमक स्नबादवू ए
 छवअमउड्मत 30य1949य जीम ळवअमतदवत विन्जजंत च्चंकमौ पे चसमैमक
 जव बतमंजमए पूज्जी म्मिबज तिवउ वि जीम कंजम वि चिनइसपबंजपवद वि
 जीपे दवजपपिबंजपवद जीम वनित जमीपसे ीवूद पद बवसनउदे दव 2
 बवउचतपेपदह जीम तमें दक ीमकुंनंतजमते ीवूद हंपंदेज मंबी जीपसे पद
 बवसनउदे दवे 3 दक 4ए तमचमबजपअमसल वि जीम ैबीमकनसम मितम जव
 च्चमदकमकए पद जीम कपेजतपबज विन्जजंतौप ;बतमंजमक नदकमत
 त्मअमदनम क्मचंतजउमदज दवजपपिबंजपवद दवण 906ध्दए कंजमक
 थ्मइतनंतल 24ए 1960द्धण

छवजीपदह पद जीपे दवजपपिबंजपवद ीसस म्मिबज दल समहंस
 च्त्वबममकपदह सतमंकल बवउउमदबमक वत च्चमदकपदह पद दल
 बवनतजए ीपबी ीपजीमतजव मगमतबपेमक रनतपेकपबजपवद पद तमेचमबज
 वि जीम पक तमें ैबीमकनसम

ैबीमकनसम

पछवण	छंउमे वि जीपसे	छंउम वि भ्पसस च्चजपे	भ्मंकुंनंतजमते
1	क्नदकं	वेहपीजंतए ठपीज च्चजपए ठींदकतेलनदए ठतेंसपए ळंउतपए ळरदं ज्जंजीनतए क्पबीसपए वींदंतप	क्नदकं
2	त्रहंतीप	ठंदंसए डवहंतेंदजपए ळवकंतीजंसए जीतंसए ठरतपए ळपजी ठंतावज	त्रहपतप
3ण	चनतंसं	ठंदहंदए पदहजनत ळकनहंकए च्दबीहंपदए थ्जमी च्चंइंजए ।जीवतए ठकेंनए ज्जंसं तंपदए त्तं तंपदए ठकपलंक	चनतंसं
4	ठींजूतप	जंदवतए छंसकांजीनतए तंतंहंककपए ठंतीजण	ठींजूतप

छवण 908ध्द

पुद मगमतबपेम वति जीम चवूमते बवदमिततमक इलैमबजपवद 11 वी जीम न्दपजमक च्त्तवअपदबम संदक त्मअमदनम ।बजए 1901 ;न्णच्छ ।बज ष् ष् वी 1901द्ध ष् मगजमदकमक ंदक च्चसपमक जव जीम ज्ञनउंनद वपअपेपवद जीतवनही जीम त्मअमदनम; ।द्ध क्मचंतजउमदज दवजपपिबंजपवद दव 3109ध्द।कंजमक स्नबादवू ए व्बजवइमत 18य1947य जीम ळवअमतदवत वी न्जजंत च्त्तकमौ पे च्चसमैमक जव बतमंजमए पूज्जी म्मिबज तिवउ जीम कंजम वी जीम च्चनइसपबंजपवद वी जीपे दवजपपिबंजपवद ं दमू कपेजतपबजए बवउचतपेपदह तमें च्चमबपपिमक पद जीम बैबीमकनसमए जव इम ।दवूद ष् कपेजतपबज च्चजीवतंहंती पूज्जी िमंकुनंतजमते ज च्चजीवतंहंतीए ंदक जव संजमत पूज्जी म्मिबज तिवउ जीम उम कंजम जीम सपउपजे वी जीम मगपेजपदह कपेजतपबज वी ।सउवतं वे ष् जव बवउचतपेम जीम मगपेजपदह तमें मगबमचज जीवेम उमदजपवदमक पद जीम बैबीमकनसमए

छवजीपदह पद जीपे दवजपपिबंजपवद िसस िमिबज ंदल समहंस च्चतवबममकपदह संतमंकल बवउउमदबमक वत च्चमदकपदह पद ंदल बवनतज िपबी िपजीमतजव मगमतबपेमक रनतपेकपबजपवद पद तमेचमबज वी जीम ष् पक तमें

बैबीमकनसम

कपेजतपबज. च्चजीवतंहंती
छउमे वी ष्पसस च्चजपे

1ण ष्ोवज ंससं	17ण ष्कपं ंससं
2ण व्तउं ंससं	18ण ष्ूस
3ण व्तउं ंससं	19ण ष्ोमजप ंससं
4ण बैनकदे	20ण ष्ोमजप ंससं
5ण ंलंदे	21ण ष्डमीत
6 ंससं श्रवीत	22ण च्चनदहतंनद
7ण ंससं क्मे श्रवीत	23 ंसप
8ण ळवतप च्चैज	24ण क्पकपीज
9ण ष्ोवज ंससं	25ण ।जीइपेप ंससं
10ण ंतंइपेप	26 ।जीइपेप ंससं
11ण ष्ठीतंलंज	27 ंतनद ंससं
12ण ष्ठीताकमे	28 ंतनद ंससं
13ण छंलंकमे	29 ंठीमतंदह
14ण ष्ेनद	30 ंमस
15ण ष्कपं ंससं	31 ।जीपहंवद
16ण ष्कपं ंपबीसं	

छवण 909ध्द

पुद मगमतबपेम वति जीम चवूमते बवदमिततमक इलैमबजपवद 11

वर्ष 1901-1902 में मगजमदकमक दक चचसपमक जव जीम ज्ञानउंनद कपअपेपवद जीतवनही जीम त्मअमदनम; इद्व कमचंतजउमदज दवजपपिबंजपवद दव 3109ध।कंजमक स्नबादवू ए ब्वजवइमत 18य1947य जीम ळवअमतदवत वीन्जजंत च्त्कमौ पे चसमैमक जव बतमंजमए पूजी मभिवज तिवउ जीम कंजम वी चनइसपबंजपवद वी जीपे दवजपपिबंजपवद जीम वनित जीपसे वीवूदह पद बवसनउद दवण2ए बवउचतपेपदह जीम तमें दक वीमकुंनंतजमतेवैवूद हंपदेज मंबी जीपसए पद बवसनउदे दवेण 3 दक 4ए तमेचमबजपअमसलए वी जीम वैबीमकनसम वीमतम जव चचमदकमकए पद जीम कपेजतपबज वी च्यजीवतंहंती ;बतमंजमक नदकमत त्मअमदनम कमचंतजउमदज दवजपपिबंजपवद दवण 908धए कंजमक थमइतनंतल 24ए 1960इए

छवजीपदह पद जीपे दवजपपिबंजपवद वीसस वीमिवज दल समहंस चतवबममकपदह संतमंकल बवउउमदबमक वत चमदकपदह पद दल बवनतजए वीपबी वीपजीमतजव मगमतबपेमक रनतपेकपबजपवद पद तमेचमबज वी जीम वैपक तमें

वैबीमकनसम

क्र.सं.	छवण	छंउमे वी जीपसे	छंउम वी भिसस च्जजपे	भंमकुंनंतजमते
1	वीतबीनसं	वोवज डंससंए वंतउं जंससंए ठंलंदेए बिनकंदेएवंतउं डंससं	वोवज डंससंए वंतउं जंससंए ठंलंदेए बिनकंदेएवंतउं डंससं	वीतबीनसं
2	उनदेपंतप	डंससं श्रवीतए ळवतप वीजए जंससं वमे श्रवीतए	डंससं श्रवीतए ळवतप वीजए जंससं वमे श्रवीतए	उनदेपंतप
3	च्यजीवतंहंती	वोवज जंससंए ठंतइपेए वीतलंजए वीतांकमेए छलंकमेए नद एसकपं जंससं एसकपं ठपबीसंए एसकपं डंससंए वूसंए डींतए वीमजीप डंससंए वीमजीप जंससंए	वोवज जंससंए ठंतइपेए वीतलंजए वीतांकमेए छलंकमेए नद एसकपं जंससं एसकपं ठपबीसंए एसकपं डंससंए वूसंए डींतए वीमजीप डंससंए वीमजीप जंससंए	च्यजीवतंहंती
4	कपकपीज	चनदहतंनदए डंसप कपकपीजए वीजीइपेप डंससंए वीजीइपेप जंससंए वीजीपहंवद ए ठंतनद जंससंए वीमतंदहए ठमसए ठंतनद डंससं	चनदहतंनदए डंसप कपकपीजए वीजीइपेप डंससंए वीजीइपेप जंससंए वीजीपहंवद ए ठंतनद जंससंए वीमतंदहए ठमसए ठंतनद डंससं	कपकपीज

छव 910धइ

पद मगमतबपेम वति जीम चवूमते बवदमिततमक इल वैमबजपवद 11 वर्ष 1901-1902 में मगजमदकमक दक चचसपमक जव जीम ज्ञानउंनद कपअपेपवद जीतवनही जीम त्मअमदनम; इद्व कमचंतजउमदज दवजपपिबंजपवद दव 3109ध।कंजमक स्नबादवू ए ब्वजवइमत 18य1947य दक जव ज्मीतप वंतीस जीतवनही स्महपेसंजपअम कमचंतजउमदज दवजपपिबंजपवद दव 3262 ;2इधटएडमतहमत ए कंजमक स्नबादवूए छवअमउइमत 30ए 1949 जीम ळवअमतदवत वीन्जजंत च्त्कमौ पे चसमैमक जव बतमंजमए पूजी मभिवज तिवउ जीम कंजम वी जीम चनइसपबंजपवद वी जीपे दवजपपिबंजपवद दमू कपअपेपवदए बवउचतपेपदह कपेजतपबजे

चमबपिमक पद जीम बीमकनसमए चमदकमक पीमतम जव इम ।दवूद
न्जजंतोदक कपअपेपवदए दक जव सजमत पूजी मभिबज तिवउ जीम उम
कंजम जीम सपउपजे विजीम मगपेजपदह ज्ञनउंनद कपअपेपवद वे जव
बवउचतपेम जीम मगपेजपदह तमें मगबमचज जीवेम उमदजपवदमक पद जीम
बीमकनसमए

छवजीपदह पद जीपे दवजपपिबंजपवद रीसस मभिबज दल समहंस
चतवबममकपदह सतमंकल बवउउमदबमक वत चमदकपदह पद दल बवनतज
पीपबी पीपीमतजव मगमतबपेमक रनतपपेकपबजपवद पद तमेचमबज विजीम
पक तमेंए

बीमकनसम
छंउम विपेजतपबजे

- 1ए चपजीवतंहंती
- 2ए बीउवसप
- 3ए न्जजंतोप

ठल वतकमत
राड माल

मबतमजवतलए

ळळमळळळळ ७ न्जजत चकैम
ळळमळ;।च।वळ टपठमळ
छव 518;1दधटप.560.1960
कंजमक स्नबीदवूए थमइतंतल 24ए 1960
छळथळ।जळळ
डपेबमससंदमवने

पद मगमतबपेम विजीम चवूमते बवदमिततमक इल नईमबजपवद
;2दध विमिबजपवद 7 दक नईमबजपवद ;1दध विमिबजपवद 8 विजीम
बवकम विल्लपउपदंस चतवबमकनतम 1898 ;।बज छवण ट वि 1898दधए दक
पद उवकपपिबंजपवद विसस चतमअपवने वतकमते पद जीपे इमींसए जीम
ळवअमतदवत विन्जजंत च्त्कमी पे चसमेंमक जव वतकमत जीज जीम
विससवूपदह कपेजतपबजे बवउचतपेपदह जीम नईकपअपेपवद वीवूद हंपदेज
जीमउ रीसस बवउम पदजव मगपेजंदबम पूजी मभिबज तिवउ थमइतंतल
24ए 1960 दक रीसस रीम जीम चसंबमे पदकपबंजमक हंपदेज जीमउ
जीमपत रीमंकुनंतजमतेए मंबी नईकपअपेपवद रीसस इम बव.मगजमदेपअम पूजी

जीम जीपस विजीम उम दउम दवजपपिमक वत उल इम दवजपपिमक इल
जीम ळवअमतदउमदज पद जीम त्मअमदनम क्मचंतजउमदजरु

क्पेजतपबज	नइ.क्पअपेपवद	भ्मकुनंतजमते
ज्मीतप ळतीस	ज्मीतपए च्तांजच छंहंतए क्मवचतलंहए त्पद दक ासंदए च्मींतपए	छंतमदकतं छंहंत
न्जजंतौप	क्नदकए त्हरपतपए च्चतनसं दक टींजतप	न्जजंतौप

छव 518;4द्धट्टः560.1960

पद मगमतबपेम विजीम चवूमते बवदमिततमक इल नइ.मबजपवद
;2द्ध विमिबजपवद 7 दक नइ.मबजपवद ;1द्ध विमिबजपवद 8 विजीम ब्बकम
वि ब्त्तपउपदंस च्त्तवबमकनतम 1898 ;।बज छवण ट वि 1898द्धए दक पद
उवकपपिबंजपवद विसस च्त्तमअपवने वतकमते पद जीपे इमीसए जीम
ळवअमतदवत वि न्जजंत च्त्तंकमौ पे च्त्तसमेंमक जव वतकमत जींज जीम
वसिसवूपदह कपेजतपबजे बवउचतपेपदह जीम नइ.क्पअपेपवद ीवूद हंपदेज
जीमउ ीसस बवउम पदजव मगपेजमदबम पूजी म्मिबज तिवउ थ्मइतनंतल
24ए 1960 दक ीसस ीअम जीम च्त्तसंबमे पदकपबंजमक हंपदेज जीमउ
जीमपत ीमंकुनंतजमते मंबी नइ.क्पअपेपवद ीसस इम बव.मगजमदेपअम पूजी
जीम जीपस विजीम उम दउम दवजपपिमक वत उल इम दवजपपिमक इल
जीम ळवअमतदउमदज पद जीम त्मअमदनम क्मचंतजउमदजरु

क्पेजतपबज	नइ.क्पअपेपवद	भ्मकुनंतजमते
ळतीस	संदेकवूदम दक च्त्ततप	च्त्ततप
बैंउवसप	बैंउवसपए श्रवौपउंजीए नीपउंजी – ज्ञतंदचतलंह	बैंउवसप

छव 518;7द्वध्टः560.1960

पद मगमतबपेम वि जीम चवूमते बवदमिततमक इल ेनइ.मबजपवद ;2द्व विमबजपवद 7 दक ेनइ.मबजपवद ;1द्व विमबजपवद 8 वि जीम बवकम विबतपउपदंस चतवबमकनतम 1898 ;।बज छवण ट वि 1898द्वए दक पद उवकपपिबंजपवद विसस चतमअपवने वतकमते पद जीपे इमींसए जीम ळवअमतदवत वि न्जजंत च्त्कमी पे चसमेंमक जव वतकमत जीज जीम वसिसवूपदह कपेजतपबजे बवउचतपेपदह जीम ेनइ.कपअपेपवद ीवूद हंपदेज जीमउ ीसस बवउम पदजव मगपेजंदबम पूजी ममिबज तिवउ थमइतंनतल 24ए 1960 दक ीसस ीअम जीम चसंबमे पदकपबंजमक हंपदेज जीमउ े जीमपत ीमंकुनंतजमते मंबी ेनइ.कपअपेपवद ीसस इम बव.मगजमदेपअम पूजी जीम जीपस वि जीम ेउम दंउम े दवजपपिमक वत उंल इम दवजपपिमक इल जीम ळवअमतदउमदज पद जीम त्मअमदनम कमचंतजउमदज

कपेजतपबज	ेनइ.कपअपेपवद	भमंकुनंतजमते
।सउवतं	।सउवतंए बीउचूंज – त्दपीमज	।सउवतं
च्यजीवतंहंती	वीतबीनसंए उनदेपंतपए च्यजीवतंहंती – कपकपीज	च्यजीवतंहंती

उल वतकमत
ीवूद म्छए
ेबीपअ

नञ्जत् च्कवैभै छ

छलल। ;ज्ञ।द्व टठभ।ळ

छव ।.711६टप् ।.710.1953

कंजमक स्नबादवूए थमइतंनतल 24ए 1960ए

छवथ्ठ।ज्ठ

डपेबमससंदमवने

पद मगमतबपेम विजीम चवूमते बवदमिततमक इल मबजपवदे 13 दक 14 वि
जीम ठमदहंसए ।हतं दक उ ब्यअपस ब्यनजते ।बजए 1887; ।बज छवण ग्प
वि 1887द्व दक जीम च्त्वअपदबपंस उंसस ब्नेमे ब्यनतजे ।बजए 1887 ; ।बज
प वि 1887द्वए तमंक पूजी मबजपवद 21 विजीम ळमदमतंस ब्संनेमे ।बजए
1897 ; ।बज छवण ग्प वि 1897द्वए जीम हवअमतदवत वि न्जजंत च्चंकमी पे
चसमैमक जव उांम वसिसवूपदह उमदकउमदजे पद जीम बीमकनसम
चचमदकमक जव दवजपपिबंजपवद दव ।.1104६टप्.710.53ए कंजमक
।चतपस 12ए 1956ए

।उमदकउमदज

वते जीम मगपेजपदह मदजतपमे हंपदेजे मतपंस दव 24ए 203 – 204
नइेजपजनजम जीम वसिसवूपदहरू

थपतेज ब्यसनउद	मबवदक ब्यसनउद	जेपतक ब्यसनउद	वनेतजी ब्यसनउद	थपजिी ब्यसनउद	पगजी ब्यसनउद
24	क्वण	क्पेजतपबज वि छंपदपजंसए ।सउवतंए ळंतींसए ज्मीतप ळंतींसए च्यजीवतंहंतीएबिं उवसप – न्जजंतोप	छंपदपजंसए भंसकूदपए ।सउवतंए तंदपीमजए संदेकवूदमए बिंउवसपए चंनतपए च्यजीवतंहंतीए न्जजंतोपए क्नहंककंए ज्ञवजकूतंए	क्वण	क्पेजतपब ज श्रनकहम वि ज्ञनउंनद ज छंपदपजंस

			ज्मीतप – छंतमकतं छंहंत		
203	क्वण	च्यजीवतंहंती क्पेजतपबज – स्वीवहींज ेनइ. कपअपेपवद पद ।सउवतं क्पेजतपबज	च्यजीवतंहंती – स्वीवहींज	क्वण	उनदेपिज च्यजीवतंहं ती

थपतेज ब्यसनउद	मबवदक ब्यसनउद	जेपतक ब्यसनउद	वनिताजी ब्यसनउद	थपजी ब्यसनउद	पगजी ब्यसनउद
204	क्व	बिंउवसप क्पेजतपबज – छंतप ेनइ. कपअपेपवद पद ळंतीस क्पेजतपबज	बिंउवसप – छंतप	क्वण	उनदेपिज बिंउवसप

ठल वतकमत
ळळळळळ छ।।।।।
डनील बीपअ

कलकत्ता नगरपालिका

कलकत्ता नगरपालिका

कलकत्ता नगरपालिका

कलकत्ता नगरपालिका

कलकत्ता नगरपालिका

कलकत्ता नगरपालिका

कलकत्ता नगरपालिका

कलकत्ता नगरपालिका

कलकत्ता नगरपालिका

1	2	3
	कलकत्ता नगरपालिका	कलकत्ता नगरपालिका

		;5द्ध वति जीम जतपंस वि बेंमे बवउउपजजमक तिवउ जीम चपजीवतंहंती कपेजतपबज ंज चपजीवतंहंतीण ;6द्ध वति जीम जतपंस वि बेंमे बवउउपजजमक तिवउ जीम बेंउवसप कपेजतपबज ंज बेंउवसपए ;7द्ध वति जीम जतपंस वि बेंमे बवउउपजजमक तिवउ जीम न्जजंतौप कपेजतपबज ंज न्जजंतौपण

उल वतकमत
ौम्ह्णौ म्छ
ौबीपअ

छव 1328ध्प. |.1960

कंजमक स्नबादवू थ्मइतनंतल 24ए 1960

छवज्थळ | ज्पळ्छ

/चचवपदजउमदज

पजी मांमिबज तिवउ थ्मइतनंतल 24ए 1960. ;पद्ध जीम नदकमत उमदजपवदमक वांपिबमते वा कपेजतपबज वळंतूस तम सेव चचवपदजमक जव जीम चवेजे उमदजपवदमक हंपदेज जीमपत दंउमे पद ककपजपवद जव जीमपत वूद कनजपमे नदजपस नितजीमत वतकमतेण

1ण ब्यससमबजवत दक वेजतपबजए . जव इम ब्यससमबजवत दक कपेजतपबज उंहपेजतंजम उंहपेजतंजम वळंतूस बीउवसपण

2ण नचतपजमदकमदज विच्वसपबमए . जव इम

नचतपजमदकमदज

वळंतूस

विच्वसपबम बीउवसप

3ण ण्कण्ट ६ ण्कण्डण बीउवसप

जव इम ण्कण्ट ण्कण्डण

विसस जीम वनित दमूसल बतमंजमक नइ.कपअपेपवद वा कपेजतपबज बीउवसप

4ण कपेजतपबज च्चसंददपदह वांपिबमत वळंतूस

जव इम कपेजतपबज च्चसंददपदह

वांपिबमतए बीउवसपण

5ण ज्मीपसकंत बीउवसप

जव इम ज्मीपसकंत वा

सस जीम वनित दमूसल बतमंजमक जीपसे वा कपेजतपबज बीउवसप

;पपद्ध |सस व्जीमत वांपिबमत

सिस मगमतबपेमक

जीम

वां वळंतूस

उम चवूमते पद जीम

दमूसल बतमंजमक कपेजतपबज वा बीउवसप पीपबी जीमलिक इममद मगमतबपेपदह पदेनबी तमें नचजव थ्मइ 23ए 1960

छव 1329ध्प. |.1960

पजी मांमिबज तिवउ थ्मइतनंतल 24ए 1960. ;पद्ध जीम नदकमत उमदजपवदमक वांपिबमते वा कपेजतपबज ज्मीतप वळंतूस तम सेव चचवपदजमक जव जीम चवेजे उमदजपवदमक हंपदेज जीमपत दंउमे पद ककपजपवद जव जीमपत वूद कनजपमे नदजपस नितजीमत वतकमतेण

1 ^१ ब्यससमबजवत ंदक वेजतपबजए कपेजतपबज डंहपेजतंजम	जव इम ब्यससमबजवत ंदक डंहपेजतंजम ज्मीतप ळंतीूस न्जजौपण
2 ^१ नचतमजमदकमदज वचिच्यसपबमए नचतपजमदकमदज	जव इम वि ज्मीतप ळंतीूस च्यसपबम न्जजौपण
3 ^१ णकण्ट ः णकण्डण न्जजौपण	जव इम णकण्ट णकण्डण विसस जीम वनित दमूसल बतमंजमक नइ.कपअपेपवद वि कपेजतपबज न्जजौपण
4 ^१ कपेजतपबज च्चसंददपदह विपिबमत ज्मीतप ळंतीूस	जव इम कपेजतपबज च्चसंददपदह विपिबमतए न्जजौपण
5 ^१ ज्मीपसकंत न्जजौपण	जव इम ज्मीपसकंत विसस जीम वनित दमूसल बतमंजमक जमीपसे विकपेजतपबज न्जजौपण
पपद्ध ासस व्जीमत विपिबमत ज्मीतप ळंतीूस उम	िसस मगमतबपेमक जीम वि चवूमते पद जीम दमूसल बतमंजमक कपेजतपबज वि न्जजौपणीपबी जीमल िक इममद मगमतबपेपदह पद नबी तमें नचजव थमइ 23ए 1960

छव 1330६ प. 1.1960

पजी मीमिबज तिवउ थमइतनंतल 24ए 1960. पद्ध जीम नदकमत उमदजपवदमक
वापिबमते विकपेजतपबज ासउवतं तम सेव चचवपदजमक जव जीम चवेजे
उमदजपवदमक हंपदेज जीमतम दंउमे पद ककपजपवद जव जीमपत वूद कनजपमे
नदजपस नितजीमत वतकमतेण

1^१ ब्यससमबजवत ंदक वेजतपबजए . जव इम ब्यससमबजवत ंदक
डंहपेजतंजम

2 ^० नचतपजमदकमदज वचिसपबमए छंपदपजंस	।सउवतं कपेजतपबज डंहपेजतंजम च्यजीवतंहंती जव इम नचतपजमदकमदज वचिसपबमए च्यजीवतंहंती
3 ^० णकण्ट ६ णकण्डण च्यजीवतंहंती	जव इम णकण्टै णकण्डण विसस जीम वनित दमूसल बतमंजमक ेनइ.कपअपेपवद वचिसपबमए च्यजीवतंहंती
4 ^० कपेजतपबज च्चसंददपदह वीपिबमत	जव इम कपेजतपबज च्चसंददपदह ।सउवतं वीपिबमतए च्यजीवतंहंती
5 ^० जमीपसकंत च्यजीवतंहंती	जव इम जमीपसकंत विसस जीम वनित दमूसल बतमंजमक जमीपसे वचिसपबमए च्यजीवतंहंती
पपद्ध ।सस व्जीमत वीपिबमत ।सउवतं	।सस मगमतबपेमक जीम वचिसपबमए च्यजीवतंहंती उम दमूसल बतमंजमक कपेजतपबज वचिसपबमए च्यजीवतंहंती पूषबी जीमल क इममद मगमतबपेपदह पद नबी तमें नचजव थमइ 23ए 1960 ठल वतकमत ळळळळ छ ।।छ डनाल बीपअं

उत्तर प्रदेश सरकार
राजस्व (ग) विभाग

संख्या-904/1-स
लखनऊ, 24 फरवरी, 1960 ई०

विज्ञप्तियां

राजस्व (क) विभाग की विज्ञप्ति
संख्या-3109/1- अ, दिनांक, लखनऊ 18 अक्तूबर, 1947 द्वारा
कुमायूं डिविजन में यथा प्रसारित तथा प्रवृत्त उत्तर प्रदेश लैंड

रेवन्यू एक्ट, 1901 (यू0पी0 एक्ट 3, 1901) की धारा, 11 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दिनांक से एक नये जिले का सृजन करते हैं, जिसमें अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र होंगे और जो चमोली जिले के नाम से कहलायेगा तथा इसका मुख्यालय गोपेश्वर होगा, किन्तु वर्तमान समय के लिए तथा उस समय तक के लिए जब तक कि आवश्यक समझा जाए मुख्यालय चमोली में ही रहेगा और उसी दिनांक से वर्तमान गढ़वाल जिले की सीमाओं का परिवर्तन करते हैं, जिससे कि अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों को छोड़कर वर्तमान क्षेत्र उसमें सम्मिलित हो जाए।

इस विज्ञप्ति में किसी बात का प्रभाव किसी ऐसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा जो किसी न्यायालय में, जो अब तक उक्त क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो, पहले से ही आरम्भ या विचाराधीन हो।

अनुसूची
जिला चमोली
.....
पट्टियों के नाम

1- पैखंडा मल्ला	15-दशोली तल्ली
2- पैखंडा तल्ला	16- तल्ला चांदपुर
3- बामसू मैखंडा	17- रानीगढ़
4- मल्ला कालीपाट	18- पिण्डरपार पल्ला
5- कालीपाट	19- पिण्डरपार वल्ला
6- तल्ला कालीपाट	20- पिण्डरवार पल्ला
7- तल्ला नागपुर	21- पिण्डरवार वल्ला
8- बण्ड	22- सिरगुर
9- दशोली मल्ली	23- कडाकोट

10- नन्दाक	24- कपीरी
11- मल्ला नागपुर	25- बिचला चांदपुर
12- चंद्रशिला	26- लोहबा
13- दशजूला	27- खंडसार
14- बिचला नागपुर	27- मल्ला चांदपुर।

संख्या-905/1-स

राजस्व (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या-3109/1- प्र, दिनांक 18 अक्टूबर, 1947 द्वारा कुमायूं डिविजन में यथा प्रसारित तथा प्रवृत्त उत्तर प्रदेश लैंड रेवन्यू एक्ट, 1901 (यू0पी0 एक्ट 3, 1901) की धारा 11 द्वारा प्राप्त अधिकारों

का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दिनांक से स्तंभ-2 में उल्लिखित चार तहसीलों का सृजन करते हैं, जिसमें कि चमोली जिले के राजस्व (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या-904/1-स दिनांक 24 फरवरी, 1960 के अधीन सृजित संलग्न अनुसूची के क्रमशः स्तंभ 3 तथा 4 में प्रत्येक के सामने दिए गए क्षेत्र तथा मुख्यालय सम्मिलित होंगे।

इस विज्ञप्ति में किसी बात का प्रभाव किसी ऐसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा जो किसी न्यायालय में, जो अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो, पहले से ही आरम्भ या विचाराधीन हो।

अनुसूची

क्र. सं.	तहसीलों के नाम	पट्टियों के नाम	मुख्यालय
1	2	3	4
1	चमोली	बण्ड, दशोली मल्ली, नन्दाक, मल्ला नागपुर, चंद्रशिला, दशज्यूला, बिचला नागपुर	चमोली
2	जोशीमठ	पैखंडा मल्ला, पैखंडा तल्ला,	जोशीमठ
3	ऊखीमठ	बामसू मैखंडा, मल्ला कालीफाट, कालीपार, तल्ला कालीफाट, तल्ला नागपुर,	ऊखीमठ
4	कर्णप्रयाग	दशोली तल्ली, तल्ला चांदपुर, मल्ला चांदपुर, पिण्डरपार पल्ला, पिण्डरपार वल्ला, रानीगढ़, पिण्डरवार पल्ला, पिण्डरवार वल्ला, सिरगुर, कडाकोट, कपीरी, बिचला चांदपुर, लोहबा, खंडसार	कर्णप्रयाग

संख्या- 910/1-स

राजस्व (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या-3109/1-अ, दिनांक 18 अक्टूबर, 1947 द्वारा कुमायूं डिविजन में तथा विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या-3262 (2)/17 मर्जर, दिनांक 30 नवंबर 1949 द्वारा टिहरी गढ़वाल में यथा प्रसारित तथा प्रवृत्त उत्तर प्रदेश लैंड रेवन्यू एक्ट, 1901 (यू0पी0 एक्ट 3, 1901) की धारा-11 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दिनांक से एक नए प्राखंड का सृजन करते हैं, जिसमें अनुसूची में उल्लिखित जिले होंगे और जो उत्तराखंड प्राखंड के नाम से कहलाएगा और उसी दिनांक से वर्तमान कुमायूं प्राखंड की सीमाओं का परिवर्तन करते हैं, जिससे अनुसूची

में उल्लिखित क्षेत्रों को छोड़कर वर्तमान क्षेत्र उसमें सम्मिलित हो जाए।

इस विज्ञप्ति में किसी बात का प्रभाव किसी ऐसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा जो किसी न्यायालय में, जो अब तक उक्त क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो, पहले से ही आरम्भ या विचाराधीन हो।

अनुसूची

जिलों का नाम—

- 1— पिथौरागढ़,
- 2— चमोली,
- 3— उत्तरकाशी

आज्ञा से,
राम सहाय,
सचिव।

गृह (अपराध) विभाग

.....
संख्या—518 (1)/6-560-60
लखनऊ, 24 फरवरी, 1960 ई०

विज्ञप्तियां
विविध

कोड़ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 (ऐक्ट सं० 5, 1898) की धारा 7 की उपधारा (2) के तथा धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में समस्त पूर्व आज्ञाओं को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के गवर्नर यह आदेश देते हैं कि 24 फरवरी, 1960 ई० से

निम्नलिखित जिले, जिनके सब डिविजन (नइ.कपअपेपवद) उनके सामने दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के जिले घोषित किये जाते। मुख्यालय उनके सामने अंकित है। प्रत्येक सब डिविजन (नइ.कपअपेपवद) उसी नाम की तहसील के साथ, जो सरकार के राजस्व विभाग द्वारा घोषित की गई हो या की जाएगी, एक ही स्थान व समय में व्यापक रहेंगे :-

जिला	सब डिविजन	मुख्यालय
गढ़वाल	लैंसडौन और पौड़ी	पौड़ी
चमोली	चमोली, जोशीमठ, ऊखीमठ और कर्णप्रयाग	चमोली

आज्ञा से,
अशोक सेन,
सचिव।

न्याय (क) विभाग

.....
सख्या ए-711/7-710 -53
लखनऊ, 24 फरवरी, 1960 ई०
विज्ञप्तियां

विविध

जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1897 (ऐक्ट सं० 10, 1897) की धारा 21 के साथ गठित बंगाल, आगरा ऐन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट 1887 (ऐक्ट संख्या 12, 1887) की धारा-13 व 14 तथा प्रोविशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट संख्या 9, 1887) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश

के राज्यपाल विज्ञप्ति संख्या ए-1104/7-710-53, दिनांक 12 अप्रैल, 1956 से सलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संसोधन
क्रम संख्या 24, 203, 204 की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर
निम्नलिखित रख दिये जायें

प्रथम खंड	द्वितीय खंड	तृतीय खंड	चतुर्थ खंड	पांचवा खंड	छठा खंड
24	तदैव	नैनीताल, अल्मोडा, टिहरी- गढवाल, गढवाल,पिथौरागढ, चमोली तथा उत्तरकाशी	नैनीताल, हलद्वानी, अल्मोडा, रानीखेत, लैन्सडाउन,चमोली, पौडी, पिथौरागढ, उत्तरकाशी,दोगडडा, कोटद्वार, टिहरी, तथा नरेन्द्र नगर	तदैव	डिस्ट्रिक्ट जज कुमांयू के नैनीताल में
203	तदैव	जिला पिथौरागढ तथा लोहाघाट, सब डिविजन जिला अल्मोडा में	पिथौरागढ तथा तदैव लोहाघाट।	तदैव	मुंसिफ पिथौरागढ में।
204	तदैव	चमोली जिला तथा पौडी, सब डिविजन गढवाल जिले में।	चमोली तथा पौडी		मुंसिफ चमोली में

आज्ञा से,
गोविन्द नारायण,
मुख्य सचिव।

संलग्न-2

संख्या-178/आठ-पु0से0-2-512(12)/72

प्रेषक,

श्री प्रभा शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, एवं पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

गृह(पुलिस सेवायें) अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक:28 मार्च,1984

विषय— उ०प्र० के पर्वतीय अंचल के 6 जनपदों— अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी के लिए स्वीकृत पुलिस अधीक्षकों एवं सम्बद्ध पदों को बनाये रखना।
महोदय,

1— पुलिस अधीक्षक—	6
2— पुलिस उपाधीक्षक—	6
3—सब इन्स्पेक्टर (रीडर)—	6
4—हेड कान्सटेबिल ना०पु०—	6
5— कान्सटेबिल ना०पु०—	6
6— अर्दली चपरासी—	6
7—कान्सटेबिल ड्राईवर —	6

शासनादेश संख्या 3639/ आठ—पुलिस—
2—512(12)/72 दिनांक 22 नवम्बर, 1983 के अनुक्रम में मुझे यह कहरने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ने उक्त शासनादेश में सृजित पार्श्वकित पदों की 1 मार्च 1984 से 28 फरवरी 1985 तक वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों पर चलते रहे की स्वीकृति प्रदान कर दी है बशर्ते कि उक्त पदों की अवधि बिना किसी पूर्व सूचना के उससे पूर्व ही समाप्त न कर दी जाय।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 1984—85 के आय व्ययक लेखा शीर्षक "टी—255—पुलिस आयोजनेतर" के अन्तर्गत सम्बद्ध उपशीर्षकों एवं प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3— उपर्युक्त स्वीकृत इस शर्त के अधीन है कि होने वाला व्यय, लेखानुदान(वोट आन एकाउन्ट) एवं सम्बन्धित विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पारित हो और अनुवर्ती अवधि के लिए जो लेखानुदान के अन्दर नहीं है धन वर्ष 1984 —85 के मूल आय व्ययक तथा सम्बन्धित विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय।

भवदीय

ह०/—

(प्रभा शंकर मिश्र)

संयुक्त सचिव।

संख्या:— 178(1)/आठ—पु०से०—2 तददिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:—

- 1— महालेखाकार (तृतीय) उ०प्र० जी०ए० 2 सेक्शक इलाहाबाद।
- 2— सचिव, भारत सरकार , गृह मंत्रालय नई दिल्ली।
- 3— गृह सचिव, शाखा के समस्त अनुभाग।
- 4— वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग— 12
- 5— गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग—1

आज्ञा से

ह0/-
(प्रभा शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, एवं महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश
संख्या-1-28(2)83 दिनांक लखनऊ, अप्रैल:3,1984
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- पुलिस मुख्यालय विभाग 3/3 उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2-पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा/चमोली/पौड़ी गढ़वाल/ पिथौरागढ़
/ टेहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी।

ह0/-
(पी0एन0पारीक)
कृते विशेष कार्याधिकारी
पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0

संलग्न परिशिष्ट-3

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह विभाग, पुलिस (अ)
संख्या-4437 /आठ-ए-94/60
दिनांक: लखनऊ जून, 10, 1963

विज्ञप्ति
.....
विविध

कोड आफ क्रीमिनल प्रोसिजर 1868 (एक्ट संख्या 5,1898) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में और इस विषय पर सभी वर्तमान विज्ञप्तियां और आज्ञाओं का अतिक्रमण करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल घोषणा करते हैं कि जिला चमोली के निम्नलिखित स्थानों और क्षेत्र (उनकी अधीनस्थ चौकियां सहित) थाने होंगे और निर्देश देते हैं कि उनके अंतर्गत प्रत्येक के सामने उल्लिखित स्थानीय होंगे।

थाने का नाम	स्थानीय क्षेत्र
जोशीमठ	1— जोशीमठ, सेलंग, खन्चा मल्ला, खन्चा, तल्ला, चौरनू, पैनी, चाई, झरकुला, त्रिवेणी, गुलाबकोटी, लंगसी, तपोवन, बेलाकूची. (टंगणी) गरुड़गंगा, विष्णुप्रयाग, बलदूडा, घाट, गोविन्दघाट, पाडुकेश्वर, विनायक, लामबगड, रैगांव, परसारी, मृग, बडगांव, ढाक, तपोवन, रीणी, लाता, तोलमा (सुराईठोठा), जुम्मा, जेलम, कोसा मलारी, बाम्पा, गमशाली, टिमरसैण, नीति, बद्रीनाथ, औथ, कंचनगंगा, रडंगचट्टी, हनुमानचट्टी, बेनाकुली, इंद्रधारा, गजकोटी, धनोली, माणा।
	2— जोशीमठ से गरुड़गंगा (जोशीमठ की सीमा) तक जोशीमठ से माणा तक जोशीमठ से नीति तक सड़कें और इन सड़कों के दोनों ओर 16 मीटर तक के क्षेत्र।
चमोली	1— चमोली, क्षेत्रपाल, खैनुरी, दुसादगांव, रोपा, हरमनी, पुरसाडी, कोठियालसैण, रांगतोली, लासी, मजोटी, नवा, बालखिला (तिलफरा) पाडुली, चमनाऊ, कुजों, डुंग्री, खांडरा, कौंज, नैल, कुडाव, देवर, घिंघराण, खडौरा, रवली, रिखुलीसैण, पिलंग, चटोली, सोनला, बछेर, सैकोट, आमखेत, बैँडू, घुडसाल, बाजपुर, कुहेड, मैठाणा, पुरसाडी तल्ली, नन्दप्रयाग बाजार, भीमतल्ला,

बिरही,कोडिया, अगथला, पीपलकोटी, मठ,
छिनका, बौला, सियासैण, हाट,
कोठियालसैण, गोपेश्वर,
बैरागना,मंडल, पांगरबासा ।

2- चमोली से नन्दप्रयाग तक मोटर
सड़क, चमोली से पीपलकोटी तक मोटर
सड़क, उस स्थान तक जहां पर जोशीमठ
तहसील में प्रवेश करती है, जिसके
अंतर्गत चमोली से पीपलकोटी तक अश्व
पथ भी शामिल है और चमोली से
पांगरबासा तक मोटर सड़क और इन
सड़कों के दोनों ओर 16 मीटर तक के
क्षेत्र ।

कर्णप्रयाग

कर्णप्रयाग गांव व बाजार, चौंडली,
ल्वींठा, सिलंगी, देवारी, जाख,
ईडाबधानी, रिठोली, सांकरी, पाडुली,
बनाणी, मज्याडी, उमट्टा, बरसाली,
ऐन्ड, सिमली बाजार, कुकडई,
दयारकोट, मौना, जैकंडी, उमट्टा,
काल्द,उतरों, लंगासू गांव एवं चट्टी,
बैडानू, डुंगडवाली, सौनला चट्टी,
आद्रिबद्री,नौली चट्टी, कोल्सों,
बगोली,आमसौड, नलगांव, नारायणबगड,
पंतीचट्टी, मींग,
बुधडांग,कुलसारी चट्टी, सिमलसैण,
थराली, रिंगालघेरा, तलवाडी, ग्वालदम,
सिवई, सेमीग्वाड, गलनांव, चट्टवापीपल,
मरधार, तलधारी, बंदरखंड गांव,
भटनगर, गौचर चट्टी एवं बाजार,

कांन्डला, कमेडा चट्टी, नगरासू चट्टी,
मवांणा, घोलतीर, सिरोसैण, सिरोली
चट्टी, भटोली चट्टी, उज्वलपुर चट्टी,
दिवाली खाल चट्टी, गांडाबंगचट्टी,
रामनाली चट्टी, कालीमाटी चट्टी,
कंडाली लगा मरोडा, सलियाणा जगोठ
चट्टी (बौनियाणा), डांगीधार, ग्वाड
गधेरा चट्टी, गैरसैण बाजार,
गडोलीगांव, धुनारघाट बाजार,
सिलंगागांव, बौंसरा गांव, सैजी गांव,

रीठाडाली चट्टी, गुनधंज चट्टी, आगर
चट्टी, फरसौं गांव, तालचट्टी,
पीपलचट्टी, रविपुर बखरिया, खेती,
जंगलचट्टी, विसराखेत, थलगांव,
मेहलचौरी, सिलंगागांव, रंगचौडगांव,
पाडुवाखाल ।

2- कर्णप्रयाग से पान्डुवाखाल तक,
कर्णप्रयाग से घोलतीर, कर्णप्रयाग
तहसील की सीमा तक । कर्णप्रयाग से
ग्वालदम और कर्णप्रयाग से नन्दप्रयाग
तक मोटर सड़क और इन सड़कों के
दोनों ओर 16 मीटर तक के क्षेत्र ।

ऊखीमठ

ऊखीमठ, चुनी, मुंगोली, पाली, थापंज,
सरना, बरसाल, मनसूना, गिरिया,
भटवाडी, सनसारी, किमाणा, पैज,
करोखी, सारी, पठाली, दिलमी, सिमला,
डूंगर, पिलोंगी, क्याक, कुमेड, भींगी,
चौडा, तनखिला, नाहरा, त्यूंगी, सिरवा,
परकंडी, ठांड, ककोला, गिंवाडी गांव,
धरसाल, खाल, रोडू, कुंजलपुर, कांठा,
काकडागाड, ग्वालियाबगड, दैडा,
दोगलबिट्टा, बुरासिला, बणियाकुंड,
चोपता, तुंगनाथ, जुआचट्टी,
जंगलचट्टी, भुलकुनाचट्टी, रुद्रप्रयाग,
चटोली, तिलवाडा, रामपुर, गंगतल,
जागतोली, भटवाडीसैण, बूडूबगड,
अगस्त्यमुनि, सौडी, चंद्रापुरी, बांसावाडा,
भीरी, सिल्ली, विजयनगर, चंद्रनगर,
नारायणकोटी, कुंड, ब्यूंग, महखंडा,

फाटा, बडासू, बदलपुर, रामपुर, सीतापुर,
त्रिजुगीनारायण, सेमद्वार, गौरीकुंड,
रामबाडा, गरुडिया, घिन्डिया, गुप्तकाशी,
केदारनाथ, नाला, मस्ता, जुरानी, ब्यूंग
मल्ला, खडिया, नन्दाधार, शाकंबरी,
सैमीधार, मंगूचट्टी,
चिरबटिया भैरव, विद्यापीठ, कोथाबासा,
आकरधार ।

2- रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक और

नाला से भुल्कुना(ऊखीमठ तहसील
की सीमा तक), सड़कें और इन सड़कों
के दोनों ओर 16 मीटर तक के क्षेत्र।

टिप्पणी – यदि उर्पयुक्त सड़कों के किनारे पर स्थित किसी चट्टी
या धर्मशाला का भाग, सड़क के दोनों ओर उक्त 16 मीटर के
अंतर्गत आये तो पूरी चट्टी या धर्मशाला असैनिक पुलिस के
क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समझी जाएगी।

आज्ञा से
(प्रेम कुमार)
उप सचिव

संलग्न-परिशिष्ट-4

उत्तर प्रदेश सरकार.
गृह विभाग
(पुलिस)
विविध

17 जुलाई, 1967 ई०

सं०	1770/8-क-14-60-जनरल	पद	चनतेनंदबम	वर्ग	जीम	
	क्लाजेज ऐक्ट, 1897 (ऐक्ट 10, 1897)		चतवअपेपवदे	वर्ग	बसंनेम;3द्ध वर्ग	
	की धारा 21 के साथ पठित कोड़ आफ		।तजपबसम	348	वर्ग	जीम

<p>क्रिमिनल प्रोसेजर, 1898 (एक्ट की धारा 5, 1898) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड(एस) के उपबन्धों के अनुसरण में तथा विज्ञप्ति सं० 5865 (ख)/8-ए-94-60,दिनांक 24 फरवरी, 1964 का आंशिक परिष्कार करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि जिला चमोली में बदरीनाथ एक पुलिस स्टेशन होगा, जिसके क्षेत्राधिकार में, नीचे अनुसूची में 1 में निर्दिष्ट गाँव तथा अन्य स्थानीय क्षेत्र होंगे और यह भी घोषण करते हैं कि उसी जिले में पुलिस स्टेशन जोशीमठ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नीचे अनुसूची 2 में निर्दिष्ट गाँव तथा अन्य स्थानीय क्षेत्र न रहेंगे अनुसूची-1- (नये पुलिस स्टेशन का क्षेत्राधिकार) (क)1-बद्रीनाथ</p> <ol style="list-style-type: none"> 2-औथ 3-कंचन गंगा 4-रङ्ग चट्टी 5-हनुमान चट्टी (गाँव और बाजार) 6-बिलाकुली 7-इन्द्रधारा 8-गजकोटी 9-धनोली 10-माणा 11-दैया 12-घोरसिल 13-बामिनी 14-घनतोली 15-पैनोर 16-डुगरियाना 	<p>बदपेजपजपवद वि प्दकपंए जीम ळवअमतदवत विन्जजंत च्कमौ पे चसमेंमक जव वतकमत जीम चनइसपबंजपवद वि जीम विससवूपदह म्दहसपौ जतंदेसंजपवद दव 1770ष्टप्प.।94. 60ए कंजमक श्रनसल 17ए 1967ण छवण 1770ष्टप्प.।94.60ए श्रनसल 17ए 1967ण पद चनतेनंदबम वि जीम चतवअपेपवदे विबिसंनेम इद्ध वि नइंमबजपवद 1 विमिबजपवद 4 वि जीम ब्कम वि जीम ब्पउपदंस त्तवबमकनतमए 1898 ;।बज ट वि 1898इए तमंक पूजी मबजपवद 24 वि जीम ळमदमतंस ब्संनेम ।बजए 1897 ;।बज २ वि 1997 इद्ध दक पद चंतजपंस उवकपपिबंजपवद वि दवजपपिबंजपवद दव 5865;इद्ध. टप्प.।94.60ए कंजमक थमइंतनतल 24ए 1964ए जीम ळवअमतदवत पे चसमेंमक जव कमबसंतम जीज ठंकतपदंजी पद क्पेजतपबज बिंउवसपौसस इम चवसपबम जंजपवद विअपदह जीम अपससंहमे दक वजीमत सवबंस तमें चमबपपिमक पद बीमकनसम 1 इमसवू पजीपद पजे रनतपेकपबजपवद दक नितजीमत जव कमबसंतम जीज अपससंहम दक वजीमत सवबंस तमें चमबपपिमक पद बीमकनसम प्प इमसवूौसस बमेंम जव चंतज वि जीम रनतपेकपबजपवद वि च्वसपबम</p>
---	---

<p>(ख)- 1-बद्रीनाथ से माणा तक यात्रा मार्ग जिसमें मार्ग के दोनों ओर 16 मी० तक का क्षेत्र सम्मिलित होगा। 2-बद्रीनाथ से बिनाकुली तक मोटर रोड़ जिसमें रोड़ के दोनों ओर 16 मी० तक का क्षेत्र भी</p>	<p>जंजपवद श्रवीपउंजी पद जीम उम केपजतपबजण बीमकनसम ए श्रनतपेकपबजपवद वि दमू च्वसपबम जंजपवदए ठंकतपदंजीइ च्वसपबम जंजपवदए ठंकतपदंजी 1ण ठंकतपदंजी</p>
--	---

<p>सम्मिलित होगा टिप्पणी – यदि उर्पयुक्त सड़कों के किनारे पर स्थित किसी चट्टी या धर्मशाला का भाग, सड़क के दोनों ओर उक्त 16 मीटर के अंतर्गत आये तो पूरी चट्टी या धर्मशाला असैनिक पुलिस के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समझी जाएगी।</p> <p>अनुसूची-2- वर्तमान पुलिस स्टेशन क्षेत्राधिकार से निकाला गया क्षेत्र</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-बद्रीनाथ 2-औथ 3-कंचनगंगा 4-रडंगचट्टी 5-हनुमान चट्टी 6-बिलाकुली 7-इन्द्रधारा 8-गजकोटी 9-धनोली 10- माणा <p>2-यह घोषणा बदरीनाथ में नया पुलिस स्टेशन स्थापित होने के दिनांक से लागू होगी</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2ण नजी 3ण दंडबींदहदहं 4ण तंदह बीजप 5ण दनउंद बीजप;ळनद दक दंतद 6ण ठपदानसप 7ण पदकतं वीतं 8ण ळरावजप 9ण वींदवसप 10ण डंद 11ण कपलं 12ण वीवतेपस 13ण ठउपदप 14ण वींदजवसप 15ण च्यदमत 16ण क्वहतपलंदं <p>;इद्ध लंजतं तवनजम तिवउ ठंकतपदंजीए जव डंदं सवदह पूजी तंमं नचजव 16 उमजतमे वद जीम मपजीमत पकम वि जीम तवनजमण</p> <p>;बद्ध डवजवत तवंक तिवउ ठंकतपदंजी जव ठपदानसपए पूजी तंमं नचजव 16 उमजतमे वद जीम मपजीमत पकम वि जीम तवनजमण</p>
--	--

	<p>छवजम पं चंतज वं बीजजप वत कीतंदीसं पजनंजमे संवदह जीम इवअम तवंके सिसमद पूपजीपद पक 16 उमजतमे वं मपजीमत पकम वं जीम तवंक जीद जीम वीवसम बीजजप दक कीतंउीसं पूसस इम कममउमक जव सिस जीपद जीम रनतपेकपबजपवद वं ब्यअपस च्वसपबमण</p> <p>बीमकनसम ष ; तमं माबसनकमक तिवउ जीम श्रनतपेकपबजपवद वं दमू च्वसपबमै जंजपवदए ठंकतपदंजीद्ध</p> <ol style="list-style-type: none"> 1ण ठंकतपदंजी 2ण नजी 3ण ज्ञदबीदहंदहं 4ण त्तंदह बीजप 5ण भ्दनउंद बीजप 6ण ठपदानसप 8ण व्ंरावजप 9ण वीदवसप 10ण डंदं <p>2ण जीपे कमबसंतंजपवदीसस जांम माभिबज तिवउ कंजम वं मेजंइसपीउमदज वं दमू च्वसपबमै जंजपवदं ज ठंकतपदंजीण</p> <p style="text-align: center;">आज्ञा से, अशोक कुमार मुस्तफी, आयुक्त एवं सचिव</p>
--	---

(संलग्न परिशिष्ट-5)

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह विभाग (पुलिस)

अनुभाग-6

प्रकीर्ण

5 जुलाई, 1983

<p>सं01466-सी/आठ-6-83-300(26)-82-साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10) 1897, की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) के उपबन्धों और तदर्थ समर्थकारी समस्त अन्य शक्तियों के अनुसारण में राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चमोली जिले के पुलिस थानों के सम्बन्ध में सरकारी अधिसूचना संख्या 4437/आइ7ए-94-60, दिनांक 10 जून, 1963, में निम्न लिखित संशोधन करते हैं। संशोधन उपर्युक्त अधिसूचना में उससे संलग्न अनुसूची में :- (1) पुलिस थाना चमोली से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रविष्टियां निकाल दी जायेगी, अर्थात् :-</p> <table border="1"> <tr> <td>पाडली</td> <td>चमोली</td> <td>गोपेश्वर</td> <td>चमोली</td> </tr> <tr> <td>चमनाऊ</td> <td>"</td> <td>मण्डल</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>धिधिराण</td> <td>"</td> <td>पांगरवासा</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>कोठियाल गांव</td> <td>"</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(2) पुलिस थाना ऊखीमठ से सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेगी। अर्थात् थाना — गोपेश्वर</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>पाडली</td> <td>चमोली</td> <td>20</td> <td>बणधरा</td> <td>चमोली</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>चमनाऊ</td> <td>"</td> <td>21</td> <td>भदकोटी</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>धिधिराण</td> <td>"</td> <td>22</td> <td>मकरोली</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>कोठियाल गांव</td> <td>"</td> <td>23</td> <td>रुद्रनाथ</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>गोपेश्वर</td> <td>"</td> <td>24</td> <td>गैर</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>गण्डल</td> <td>"</td> <td>25</td> <td>नगर टंगला</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>पांगरवासा</td> <td>"</td> <td>26</td> <td>कटूठ</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>नैगावाड़</td> <td>"</td> <td>27</td> <td>सिरौली</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>अनुसूइया</td> <td>"</td> <td>28</td> <td>ग्वोलो</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>कैलडी चक गवाड़</td> <td>"</td> <td>29</td> <td>रामपुर चक पाडली</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>कोटेश्वर</td> <td>"</td> <td>30</td> <td>सगर चन्द्रकोटी</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>कुनकुली</td> <td>"</td> <td>31</td> <td>गंगोलगांव</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>खाला</td> <td>"</td> <td>32</td> <td>भुलकुड़ा (घोतीधार)</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>खिकन</td> <td>"</td> <td>33</td> <td>सिड़जोलगा सिरों</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>गवाड़</td> <td>"</td> <td>34</td> <td>पपड़ियाणा</td> <td>"</td> </tr> </table>						पाडली	चमोली	गोपेश्वर	चमोली	चमनाऊ	"	मण्डल	"	धिधिराण	"	पांगरवासा	"	कोठियाल गांव	"			1	पाडली	चमोली	20	बणधरा	चमोली	2	चमनाऊ	"	21	भदकोटी	"	3	धिधिराण	"	22	मकरोली	"	4	कोठियाल गांव	"	23	रुद्रनाथ	"	5	गोपेश्वर	"	24	गैर	"	6	गण्डल	"	25	नगर टंगला	"	7	पांगरवासा	"	26	कटूठ	"	8	नैगावाड़	"	27	सिरौली	"	9	अनुसूइया	"	28	ग्वोलो	"	10	कैलडी चक गवाड़	"	29	रामपुर चक पाडली	"	11	कोटेश्वर	"	30	सगर चन्द्रकोटी	"	12	कुनकुली	"	31	गंगोलगांव	"	13	खाला	"	32	भुलकुड़ा (घोतीधार)	"	14	खिकन	"	33	सिड़जोलगा सिरों	"	15	गवाड़	"	34	पपड़ियाणा	"
पाडली	चमोली	गोपेश्वर	चमोली																																																																																																												
चमनाऊ	"	मण्डल	"																																																																																																												
धिधिराण	"	पांगरवासा	"																																																																																																												
कोठियाल गांव	"																																																																																																														
1	पाडली	चमोली	20	बणधरा	चमोली																																																																																																										
2	चमनाऊ	"	21	भदकोटी	"																																																																																																										
3	धिधिराण	"	22	मकरोली	"																																																																																																										
4	कोठियाल गांव	"	23	रुद्रनाथ	"																																																																																																										
5	गोपेश्वर	"	24	गैर	"																																																																																																										
6	गण्डल	"	25	नगर टंगला	"																																																																																																										
7	पांगरवासा	"	26	कटूठ	"																																																																																																										
8	नैगावाड़	"	27	सिरौली	"																																																																																																										
9	अनुसूइया	"	28	ग्वोलो	"																																																																																																										
10	कैलडी चक गवाड़	"	29	रामपुर चक पाडली	"																																																																																																										
11	कोटेश्वर	"	30	सगर चन्द्रकोटी	"																																																																																																										
12	कुनकुली	"	31	गंगोलगांव	"																																																																																																										
13	खाला	"	32	भुलकुड़ा (घोतीधार)	"																																																																																																										
14	खिकन	"	33	सिड़जोलगा सिरों	"																																																																																																										
15	गवाड़	"	34	पपड़ियाणा	"																																																																																																										
<p>छ चनतेनंदबम वि जीम चतवअपेपवदे वि बसंत?नेम ;3द्ध वि ।तजपबसम 348 वि जीम धवदेजपजनजपवद जीम ळवअमतदवत पे चसमेमक ?जव वतकमत जीम चनइसपबंजपवद वि जीम विससवूपदह म्दहसपी जतदेसंजपवद वि दवजपपिबंजपवद दवण1466.छटप्प.6.82.300;26द्ध.82ए कंजमक श्रनसल 5ए 1983 छवण1466.छटप्प.6.82.300;26द्ध.82 श्रनसल 5ए 1983 प चनतेनंदबम वि जीम चतवअपेपवदे वि बसंतने ैद्ध वि मबजपवद 2 वि जीम ब्यकम वि ब्तापउपदंस च्त्वबमकनतमए 1973 ।।बज दवण 2 वि 1974द्ध तमक पूजी मबजपवद 21 चवूमते मदइसपदह पीउ पद जीपे इमसंसि जीम ळवअमतदवत पे चसमेमक जव उंम पी मांमिबज तिवउ जीम कंजम वि चनइसपबंजपवद वि जीपे दवजपपिबंजपवद पद जीम ळमजजम जीम विससवूपदह उमदकउमदजे पद ळवअमतदउमदज दवजपपिबंजपवद दवण4437ष्टप्प.।94.60ए कंजमक रनदम 10ए 1903 पद तमेचमबज वि चसपबम जंजपवदे पद कपेजतपबज बैउवसप रु ।उमदकउमदजे पद जीम वितमेपक दवजपपिबंजपवद पद जीम बैमिकनसम चमदकमक जीमतमजव जीम विससवूपदह मदजतपमे तमसंजपदह जव जीम चवसपबम जंजपवदे बैउवसपीसस इम वउउपजजमक दंउमसल रु. चंसप चंसप ळवचर्मौत बैददंनद वव उंदकंस ळीपदहतद वव च्दहतई ववजीपलंस ळवद वव ।जिमत जीम व्रपेजपदह वदजतल तवसंजपदह जव चवसपबम जंजपवदे नीउंजीए जीम विससवूपदह वदजपमे िसस इम पदेमतजमकए दंउमसल रु छेण ळवचर्मौत.. 1 चंसप बैउवसप 20 उंदकींत 2 बैउउंनद वव 21 ठीकावजप 3 ळीपदहतद वव 22 डातवसप 4 ज्ञवजीपलंस वव 23 त्नकर्तदंजी हंवद 5 ळवचर्मौत वव 25 छहंत ज्दहें 6 उंदकंस वव 26 ज्ञजीनत 7 च्दहतई वव 27 पतंसप 8 छमहूत वव 28 ळूववपव 9 ।दनेनल वव 29 त्उचनत बी चंकनसप 10 ज्ञंसनकप वव 30 हंत बैदकतदावजप बी ळूंक 11 ववजर्मौत वव 31 ळदहवसहंवद 12 ज्ञानदानसप वव 32 ठीनसांक ;कीवजपकी 13 ज्ञीसं वव 33 पकरव रंही पतपव 14 ज्ञीपांद वव 34 च्चंकपलंद 15 ळूंक वव 35 पतव 16 क्मूसकीत वव 17 वनदहतप वव ज्ञदकंस 18 बीददनसप वव 19 ठउपलंस वव ठल वतकमतए</p>																																																																																																															

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खंड (ख)
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 18 सितंबर, 1997
भाद्रपद 27, 1919 शक सम्बत्
उत्तर प्रदेश सरकार
राजस्व अनुभाग-5
संख्या-2867/1-5-97-323-97-रा०-5
लखनऊ, 18 सितंबर, 1997
अधिसूचना

प०आ०-562

उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू०पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट 1901 (यू०पी० ऐक्ट संख्या-3 सन् 1901) की धारा 11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से रुद्रप्रयाग नामक एक नया जिला सृजित करते हैं, जिसमें जिला चमोली की वर्तमान तहसील रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ और जिला टिहरी गढ़वाल की उप तहसील जखोली और जिला पौड़ी गढ़वाल की तहसील श्रीनगर की बचणस्यूं पट्टी के क्षेत्र समाविष्ट होंगे, जिसका मुख्यालय रुद्रप्रयाग में होगा और उक्त दिनांक से वर्तमान जिला चमोली, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल की सीमाओं में इस प्रकार परिवर्तन करते हैं, जिससे कि नवसृजित जिला रुद्रप्रयाग में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर वर्तमान क्षेत्र उसमें समाविष्ट होंगे।

2- राज्यपाल अग्रतर निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारंभ की गई या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से
एस०पी०आर्य
प्रमुख सचिव

जीम ळवअमतदवत पे चसमेंमक जव वतकमत जीम
चनइसपबंजपवद वी विससवूपदह म्दहसपौ जतंदेसंजपवद वी
दवजपपिबंजपवद छवण 2867धः5.97.323.97.त्मअ.5ए कंजमक मचज 18ए 1997
वित हमदमतंस पदवितउंजपवदण

छवण 2867धः5.97.323.97.त्मअ.

कंजमकरु र्नाबादवूएँमचजमउइमत 18ए 1997

पद मगमतबपेम वजिीम चवूमते नदकमत मबजपवद 11 वी जीम न्च्य संदक त्मअमदनम ।बजए 1901 ;न्च्य ।बज छव प्प वि 1901द्धए तमंक पूजी मबजपवद 21 वी जीम न्जजंत च्त्कमौ ळमदमतंस ब्सनेमे ।बजए 1904;न्च्य ।बज छव 1 वी जीम 1904द्ध जीम ळवअमतदवतए पद चंतजपस उवकपपिबंजपवद वी मंतसपमत दवजपपिबंजपवद पेनमक पद जीपे इमीसपिे चसमेंमक जव बतमंजम पूजी जीम ममिबज तिवउ जीम कंजम वी चनइसपबंजपवद वी जीपे दवजपपिबंजपवद वद जीम ळंमजमए दमू कपेजतपबज इल जीम दंतम वी ल्कतंचतलंह बवउचतपेपदह जीम तमें पदबसनकमक पद मगपेजपदह जीपसे वी ल्कतंचतलंह दक नीपउंजी वी कपेजतपबज बैउवसपए नइ.ज्मीपस वी श्रीवसप वी कपेजतपबज ज्मीतप ळंतीस दक ठबीदकेलनद च्जजप वी ज्मीपस तपदंहंत वी कपेजतपबज च्न्तप ळीतूस पूजी पजे मींकुनंतजमत ज ल्कतंचतलंह दक जव संजमत पूजी ममिबज तिवउ जीम पक कंजमए जीम सपउपजे वी मगपेजपदह कपेजतपबज वी बैउवसपए ज्मीतप ळंतीस दक च्न्तप ळंतीस वे जव बवउचतपेम जीम मगपेजपदह तमें मगबमचज जीवेम पदबसनकमक पद जीम दमूसल बतमंजमक कपेजतपबज वी ल्कतंचतलंहण

2ण जीम ळवअमतदवत पे नितजीमत चसमेंम जव कपतमबज जीज दवजीपदह पद जीपे दवजपपिबंजपवद िसस ममिबज दल समहंस चतवबममकपदह सतमंकल पदपजपंजमकए बवउउमदबमक वत चमदकपदह दल बवनतज वी सुंए िपबी ि िपजीमतजव मगमतबपेमक रनतपेकपबजपवद पद तमेचमबज वी पक तमें

ठल वतकमत
ेण्च ।त्ल।
च्त्तुनी बीपअ

सलग्न-7

जनपद रूद्रप्रयाग के नवसृजन के फलस्वरूप पुलिस
महानिदेशक, उ0प्र0 के आदेश सं0
डीजी-चार-103(54)-97, दिनांक 10-11-1997 के

अनुपालन में जनपद, चमोली, पौड़ी, टिहरी एवं रुद्रप्रयाग के मध्य जनशक्ति, उपकरणों, संसाधनों के विभाजन ।

जनपद रुद्रप्रयाग के सृजन से पूर्व जनपद चमोली 7 तहसीलें थी जिनमें से दो तहसीलें यथा तहसील ऊखीमठ व तहसील रुद्रप्रयाग कटकर जनपद रुद्रप्रयाग के क्षेत्रान्तर्गत आ गई है। जनपद चमोली में कुल 7 थानों में से दो पुलिस थाना क्षेत्र यथा थाना ऊखीमठ व थाना रुद्रप्रयाग नवसृजित जनपद रुद्रप्रयाग के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त जनपद टिहरी गढ़वाल की उप तहसील जखोली (तहसील देवप्रयाग) जो इस समय राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, को भी नवसृजित जनपद रुद्रप्रयाग में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार जनपद पौड़ी गढ़वाल से भी पट्टी बचनस्यूँ (थाना श्रीनगर क्षेत्र से काटकर) नेय जनपद रुद्रप्रयाग में जोड़ी गई है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के ऊपरांकित आदेश के सन्दर्भ में दिनांक 14-11-1997 को पुलिस उप महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र एवं पुलिस चमोली द्वारा मीटिंग कर जनपद चमोली, पौड़ी, गढ़वाल एवं टिहरी गढ़वाल से आनुपातिक आधार पर जनशक्ति एवं संसाधनों को नवसृजित जनपद रुद्रप्रयाग को दिये जाने के निमित्त गोष्ठी कर विचार विमर्श किया गया। विचारोपरान्त अनुपातिक आधार पर निम्नांकित जनशक्ति / उपकरणों / संसाधन नवसृजित जनपद रुद्रप्रयाग के अधिकार क्षेत्र में हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

(1)थाने:

थाना रुद्रप्रयाग एवं थाना ऊखीमठ जनपद चमोली के अधिकार क्षेत्र से काट कर अब नवसृजित जनपद रुद्रप्रयाग के प्रशासनिक अधिकार में दिये जाते हैं । इसी प्रकार जनपद टिहरी गढ़वाल की पुलिस चौकी माई की मढ़ी(जखोली क्षेत्र) भी नवसृजित जनपद रुद्रप्रयाग के अधिकार क्षेत्र में दी जाती है। जनपद पौड़ी के थाना श्रीनगर क्षेत्र की पट्टी बचनस्यूँ का क्षेत्र भी जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस के अधिकार क्षेत्र में दिया जाता है।

(2)- जनशक्ति:

(अ) नागरिक पुलिस: थानावार स्वीकृत नियतन निम्नवत् है:7

थाना	उपनि	हे.का.	का0	चतुर्थ श्रेणी
1-रुद्रप्रयाग	2	1	14	2

2-ऊखीमठ	2	1	14	2
रि.चौकी अगस्तमुनि	1	1	6	—
रि.चौकी गौरीकुण्ड	1	1	6	—
चौकी गुप्तकाशी	—	1	4	—
चौकी फाटा	—	1	4	—
योग	6	6	48	4

उपरोक्त विवरण के अनुसार थाना रुद्रप्रयाग एवं उखीमठ के लिये 6 उपनि नापु, 6 हे.का. नापु, 48 कान्सटेबिल ना.पु. तथा 4 अनुचर स्वीकृत है। यह जनशक्ति जनपद चमोली से जनपद रुद्रप्रयाग को स्थाई रूप से स्थानान्तरित की जाती है। इसके अतिरिक्त कन्टिजेन्ट रिजर्व के रूप में 1 उपनि नापु, 1 हेकानापु तथा 5 का0नापु जनपद चमोली से जनपद रुद्रप्रयाग को स्थानान्तरित किये जाते हैं। इस प्रकार जनपद चमोली से कुल 7 उपनि नापु, 7 हे.का.नापु तथा 53 का0नापु जनपद रुद्रप्रयाग को स्थाई रूप से स्थानान्तरित किये जाते हैं।

जनपद टिहरी गढ़वाल से चौकी माई की मढी पर तैनात ना.पु. का एक हे.का0 व 4 कान्स0 भी स्थाई रूप से नवसृजित जनपद रुद्रप्रयाग को स्थानान्तरित किये जाते हैं।

जनपद पौड़ी के थाना श्रीनगर का पट्टी बचनस्यू क्षेत्र जनपद रुद्रप्रयाग में दिया गया है। इस क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था के लिये जनपद पौड़ी से एक उपनि नापु, 1 हे.का. व 4 का0 ना. पुलिस जनपद रुद्रप्रयाग को स्थानान्तरित किये जाते हैं।

(ब) सशस्त्र पुलिस :

थाना क्षेत्र रुद्रप्रयाग तथा थाना क्षेत्र ऊखीमठ के अन्तर्गत निम्नांकित स्थायी गार्द तैनात है:-

क्र.सं.	गार्द/स्थान	हे.का.	कान्सटेबिल
1-	ट्रेजरी गार्द, उखीमठ	1	4
2-	ट्रेजरी गार्द, अगस्तमुनि	1	4
3-	ट्रेजरी गार्द, रुद्रप्रयाग	1	4
4-	पुलगार्द रुद्रप्रयाग	1	4
	योग	4	16

.58

अतः 4 हे.का.सपु तथा 16 का. सपु. जनपद रुद्रप्रयाग क्षेत्र में नियुक्ति हेतु स्वीकृत हैं। यह जनशक्ति तथा जनपद चमोली की मिसलीनियस सशस्त्र पुलिस शाखा से 2 हे.का. व 8 का0 सपु जनपद रुद्रनप्रयाग को विधिक ड्यूटीज के लिये दिये जाते हैं। इस प्रकार कुल 6 हे.का. सपु तथा 24 का0 सपु जनपद चमोली

से स्थाई रूप से जनपद रुद्रप्रयाग को स्थानान्तरित किये जाते हैं।

जनपद टिहरी की जखोली उप तहसील की ट्रेजरी गार्ड के लिए एक हे.का. व 4 का0 सषस्त्र पुलिस जनपद टिहरी गढ़वाल से जनपद रुद्रप्रयाग को स्थाई रूप से स्थानान्तरित किये जाते हैं।

प्रतिसार निरीक्षक/आरएसआई/एसआई एपी की नियुक्ति पुलिस मुख्यालय स्तर से की जायेगी।

(स) यातायात पुलिस

2 कान्सटेबिल यातायात पुलिस जनपद चमोली से जनपद रुद्रप्रयाग को स्थायी रूप से स्थानान्तरित किये जाते हैं।

(द)–स्थानीय अभिसूचना इकाई:

थाना क्षेत्र रुद्रप्रयाग एवं उखीमठ के अन्तर्गत निम्नांकित अभिसूचना यूनिट स्थापित हैं:–

क्र.सं.अभिसूचना यूनिट का नाम	जनशक्ति		
	उपनि	हेका	का0
1–यूनिट रुद्रप्रयाग	1	–	1
2–यूनिट अगस्तमुनि	–	1	1
3–यूनिट उखीमठ	–	1	1
योग	1	2	3

यह जनशक्ति पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश संख्या जी/प-13-19/97, दिनांक 14-10-1997 द्वारा जनपद चमोली से नवसृजित जनपद रुद्रप्रयाग को स्थायी रूप से स्थानान्तरित की जा चुकी है।

(ध) परिवहन शाखा –

वाहन – थाना रुद्रप्रयाग पर जिप्सी संख्या यूपी05-0034 तथा थाना उखीमठ पर पेट्रोल जीप सं0 यूजीआई-7929 उपलब्ध है। यही दोनों वाहन जनपद चमोली से स्थानान्तरित कर स्थाई रूप से जनपद रुद्रप्रयाग को दिये जाते हैं।

पुलिस अधीक्षक प्रभारी तथा पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिए हल्के वाहन (एम्बेसैडर/जिप्सी) का प्रावधान शासन/ पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

मोटर चालक:-थाना रूद्रप्रयाग व थाना उखीमठ पर नियुक्त हल्के वाहनों के लिये दो का10 मोटर चालक जनपद चमोली से जनपद रूद्रप्रयाग हेतु स्थानान्तरित किये जाते हैं।

(घ) रेडियो शाखा

वर्तमान में निम्नांकित रेडियो इकाईयों पर उनके सामने अंकित उपकरण उपलब्ध हैं:-

क.सं. रेडियो इकाई का नाम उपलब्ध वायरलैस उपकरण/
सहायक उपकरण

1.थाना रूद्रप्रयाग आर.टी.सैट-	1
चार्जर-	1
बैट्री	4
2-सी.डब्लू. रूद्रप्रयाग सीवर	3
ट्रांसमीटर-	3
चार्जर	1
बैट्री	8
पी.जी.	1
3. पुलिस अधीक्षक आर.टी.सैट	2
रूद्रप्रयाग के लिये	
बैट्री	2
4.थाना उखीमठ आर.टी. सैट	1
बैट्री	2
5.सी.डब्लू केन्द्र रिसीवर	2
उखीमठ	
टासमिटर	2
बैट्री	12
चार्जर	2
पी.जी.	2
6.रि.चौकी आर.टी.सैट	1
अगस्तमुनि चार्जर	1
बैट्री	4
7.रि.चौकी आर.टी.सैट	1
गौरीकुण्ड चार्जर	1
बैट्री	4
8.चौकी आर.टी.सैट	1
गुप्तकाशी चार्जर	1
बैट्री	4

उपरोक्त सभी उपकरण यथावत् जनपद चमोली से नवसृजित जनपद रुद्रप्रयाग को स्थायी रूप से स्थानान्तरित किये जाते हैं।

जनपद रुद्रप्रयाग के सीडब्लू केन्द्र हेतु निम्नांकित रेडियो स्टाफ भी जनपद चमोली से जनपद रुद्रप्रयाग के लिये स्थानान्तरित किये जाते हैं:-

(अ) सी.डब्लू केन्द्र, रुद्रप्रयाग
हेड आपरेटर— 2
मैसेन्जर प्यून— 1

(अ) सी.डब्लू केन्द्र, ऊखीमठ
हेड आपरेटर— 2
मैसेन्जर प्यून— 1

पुलिस अधीक्षक, चमोली तीन हैण्ड हैल्ड सैट में से एक हैण्ड हैल्ड सैट भी जनपद रुद्रप्रयाग को स्थानान्तरित करेंगे।

जिला कन्ट्रोल रूम, रुद्रप्रयाग के लिये निर्धारित मानों के हिसाब से स्टाफ तथा उपकरण उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे।

जब तक रेडियो मुख्यालय द्वारा आ0एम0ओ0/आर0एसम0ओ जनपद रुद्रप्रयाग के लिये नियुक्त नहीं किये जाते हैं तब तक जनपद चमोली के आरएमओ द्वारा ही जनपद रुद्रप्रयाग की रेडियो शाखा का पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(3) अस्त्र शस्त्र

7 उप नि नापु को चमोली से रुद्रप्रयाग को दिये गये हैं, के लिये .38 बोर के 7 रिवाल्वर जनपद चमोली से रुद्रप्रयाग जनपद को मय 210 कारतूस स्थानान्तरित किये जाते है। इसके अतिरिक्त कारावाइन मय 3 मैगजीन व 192 कारतूस भी चमोली से रुद्रप्रयाग को दी जाती है। दो टियर गैस गन मय नियमित शैल भी चमोली से रुद्रप्रयाग को स्थानान्तरित किये जाते है।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित अस्त्र /शस्त्र/ कारतूस जनपद चमोली से जनपद रुद्रप्रयाग को स्थानान्तरित किये जाते है:-

क्र०सं० थाना/चौकी/ शस्त्र का प्रकार अम्युनिशन
गार्द का नाम

1.थाना रूद्रप्रयाग-रायफल .303 बोर-8	200
मय बैनट	
-स्टेनगन मय 3 मैगजीन-1	192
-वीएलपी -1	12
-स्पीड हीट एसआर सैल-1	20
रबर बुलट गन	
2.थाना उखीमठ-रायफल .030 बोर-	8 400
मय बैनट	
-टीएमसी मय 3 मैगजीन-1	192
-वीएलपी -1	12
-स्पीडहीट रबर बुलटगन-1	20
3.रि०चौकी अगस्तमुनि-रायफल .303 बोर-4200	
मय बैनट	
4.रि०चौकी गौरीकुण्ड-रायफल .303 बोर-4	200
मय बैनट	
5.टेजरी गार्द गौरीकुण्ड रायफल.303मय बैनट-5	250
6.टेजरी गार्द अगस्तमुनि रायफल.303मय बैनट-5	250
7.टेजरी गार्द उखीमठ रायफल.303मय बैनट-5	250
8.पुल गार्द रूद्रप्रयाग रायफल.303मय बैनट-5	250

जनपद टिहरी से सब ट्रेजरी गार्द, जखोली के लिए एक हे.का. व 4 का० के लिये 5 रायफल .303 बोर मय बैनट व 250 कारतूस भी जनपद रूद्रप्रयाग को स्थानान्तरित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त चौकी माई-की मढी जो जनपद टिहरी से जनपद रूद्रप्रयाग स्थानान्तरित की गई है पर तैनात ना.पुलिस कर्मचारियों के लिये 2 रायफल 3.3 बोर मय 100 कारतूस भी जनपद टिहरी से जनपद रूद्रप्रयाग को स्थानान्तरित किये जाते हैं।

जनपद पौडी गढ़वाल से एक रिवाल्वर मय 60 कारतूस, एक कारवाईन स्टेन मय 3 मैगजीन व 192 कारतूस तथा 2 रायफल .303 बोर मय 100 कारतूस भी जनपद रूद्रप्रयाग को स्थानान्तरित किये जाते हैं।

(4)-अग्निशमन इकाई: जनपद रूद्रप्रयाग में अग्निशमन इकाई स्थापित करने की कार्यवाही उ०प्र० अग्निशमन मुख्यालय, लखनऊ से अपेक्षित है।

(5)बर्दी: जब तक पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद से जनपद रूद्रप्रयाग के लिये अतिरिक्त किट स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक जनपद चमोली से 20 किट (अतिरिक्त किटों में से) अस्थाई रूप से जनपद रूद्रप्रयाग को स्थानान्तरित किये गये पुलिस बल से सम्बन्धित विभिन्न बर्दी की आईट में सम्बन्धित जनपदों द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग को स्थानान्तरित की जायेगी।

(6)-टैन्टेज: जनपद चमोली में उपलब्ध 6 डी0एफ0 छोलदारी में 2 डी0एफ0 छोलदारी जनपद रूद्रप्रयाग को स्थानान्तरित की जाती है।

(7)लिपिक शाखा:-

(अ)स्टाफ: जनपद रूद्रप्रयाग के लिये कोई लिपिक पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः जनपद चमोली से निम्नांकित लिपिक जनपद रूद्रप्रयाग को स्थानान्तरित किये जाते हैं:-

1-ए.एस.आई(एम) सहायक लिपिक-1

2-कान्सटेबिल (एम)- 1

इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग की आंकिक शाखा के कार्य का निष्पादन जनपद रूद्रप्रयाग के लिये नियमित स्टाफ पृथक नियुक्त होने तक कराया जायेगा।

(ब)-स्टेशनरी- पुलिस अधीक्षक, चमोली वांछित मात्रा में स्टेशनरी एवं विभिन्न प्रकार के फार्म आदि जनपद को उपलब्ध करायेगें।

(स)टाइपराईटर: दो हिन्दी टाइप राईटर पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग के लिये स्वीकृत किये जा चुके हैं। यह टाइपराईटर पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा पुलिस मुख्यालय से प्राप्त कर जनपद रूद्रप्रयाग को उपलब्ध कराये जायेगें।

(ज्ञान सिंह)

पुलिस उप महानिरीक्षक
गढ़वाल परिक्षेत्र
उत्तर प्रदेश

सं० सीओजी/सीए-118/97

दिनांक 15-11-97

संलग्न-8

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तरांचल देहरादून

संख्या: डीजी-एक-270(9)2003 दिनांक अगस्त 23, 2003

आदेश

उत्तरांचल शासन जारी अधिसूचना संख्या-271/गृह-1/पुलिस चौकी हस्ता0/2002-2003, दिनांकित 15-2-2003 के द्वारा थाना कर्णप्रयाग, जनपद चमोली की पुलिस चौकी घौलतीर को जनपद रुद्रप्रयाग स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप इस पुलिस चौकी हेतु स्वीकृत 01 मुख्य आरक्षी ना0पु0 तथा 02 आरक्षी ना0पु0 के पदों को जनपद रुद्रप्रयाग की पुलिस चौकी घौलतीर स्थानान्तरित किया जाता है।

(राकेश मित्तल)

अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन,
उत्तरांचल

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, कानून एवं व्यवस्था, उत्तरांचल।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय उत्तरांचल।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र
- 4- पुलिस अधीक्षक चमोली।
- 5- पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग।
- 6- अनुभाग अधिकारी अनुभाग-दो पुलिस मुख्यालय उत्तरांचल।
- 7- सहायक लिपिक-तृतीय अनुभाग-एक, पुलिस मुख्यालय उत्तरांचल।

संलग्न-8का 1

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तरांचल देहरादून
संख्या: डीजी-एक-270(9)2003 दिनांक अगस्त 23, 2003

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
चमोली

कृपया उत्तरांचल शासन, गृह अनुभाग-1 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-271/गृह-1/ पुलिस चौकी हस्ता0/2002-2003, दिनांकित 15-2-2003की छाया प्रति का अवलोकन करे, जिकसे द्वारा थाना कर्णप्रयाग (जनपद चमोली) के पुलिस चौकी घौलतीर एवम इससे सम्बन्धित क्षेत्र के कोटिमा, जसौली, हरकोटा, कोटमल्ला, तोलगांव, लदौली, घिरौली, मोला, दिउली, घोडसाल, तोरियाल, गडबू, क्वाली, बीना, नगरासू, भेडगांव, मवाणा, मरोडा ग्रामों को पृथक कर थाना रूद्रप्रयाग (जनपद रूद्रप्रयाग) के अधीन स्थानान्तरित किये गये है।

2- उक्त पुलिस चौकी घौलतीर हेतु स्वीकृत पुलिस जनशक्ति को जनपद चमोली से जनपद रूद्रप्रयाग के अधीन स्थानान्तरित किया जाना है। पुलिस चौकी घौलतीर हेतु स्वीकृत पुलिस जनशक्ति का पदवार विवरण शीघ्र इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-यथोपरि

(अनिल के0 रतूडी)
पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
उत्तरांचल

संलग्न-8 का 2

उत्तरांचल शासन

गृह अनुभाग-1
संख्या: 271/गृह-1/पुलिस चौकी हस्ता0/2002-03
देहरादून दिनांक 15 फरवरी,2003
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-5 की शासकीय अधिसूचना संख्या-5-2(43)(1)/85-(39)(रा.-5) लखनउ दिनांक 30 सितम्बर 1989 के द्वारा तहसील रूद्रप्रयाग का सृजन किया गया था, जिसमें अन्य तहसीलों के अलावा जनपद चमोली की कर्णप्रयाग तहसीले के अनुसूची -ख में विनिर्दिष्ट 23 राजस्व ग्रामों को तहसील रूद्रप्रयाग में अन्तरित किया गया था। अन्तरित किये जाने के फलस्वरूप उक्त ग्रामों का प्रशासनिक एवं राजस्व नियन्त्रण रूद्रप्रयाग तहसील(जनपद चमोली) के अन्तर्गत हो गया । वर्ष-1997 में नव सृजित जनपद रूद्रप्रयाग के गठन के बावजूद पुलिस चौकी घौलतीर एवं इससे सम्बन्धित क्षेत्र के गांवों की अधिसूचना जनपद रूद्रप्रयाग के सपेक्ष नहीं हो पायी ।

अतएव श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक-

थाना कर्णप्रयाग (जनपद चमोली) के पुलिस चौकी घोलतीर एवं इससे सम्बन्धित क्षेत्र के ग्राम-कोटिमा, जसौली, हरकोटा, कोटमल्ला, तोलगाँव, लदौली, धिरौली, मोला, दिउली, घोड़साल, तोरियाल, गडबू, बवांली, बीना, नगरासू, भेड़गांव , मवाणा, मरोडा को पृथकर कर थाना रूद्रप्रयाग (जनपद रूद्रप्रयाग) के अधीन स्थानान्तरित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मंजुल कुमार जोशी
अपर सचिव

संलग्न -9

संख्या-1542/गग -1/70/पु0ई0नि0/2003
प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
उत्तरांचल

ग1ह अनुभाग-1 देहरादून: दिनांक: 7 जुलाई, 2006

विषय- गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत नए थाने एवं पुलिस
चौकियों का सृजन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-
डीजी-दो- 158-2005 दिनांक 27, मई 2005 के संदर्भ में मुझे
यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल
राज्य के गढ़वाल परिक्षेत्र में संलग्न सूची के अनुसार नए थाना
व चौकियों को खोलने तथा इन थाने चौकियों हेतु कुल 84 निम्न
अस्थाई पदों के सृजन की दिनांक 28 फरवरी 2007 तक सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र० सं०	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	उप निरीक्षक ना०पु०	08	5500-175-9000
2	हेड कानि०	07	3200-85-4900
3	कानि०	57	3050-75-3990-80-4590
4	कानि० (चालक)	07	3050-75-3990-80-4590
5	अनुगामी	05	2550-55-2660-60-3200

2- उक्त पद धारकों को मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो
समय-समय पर प्रसारित आदेश के अनुसार उन्हें अनुमन्य हो, देय
होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष
2006-2007 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत

लेखा शीर्षक 2055-पुलिस - 00-109-जिला पुलिस-03-जिला
पुलिस मुख्य-00 की संसुगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला
जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-703/गगअप्प5द्ध 2006 दिनांक 3 जुलाई 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0 अपठित
(एस0एस0 टोलिया)
अनुसचिव

गढ़वाल परिक्षेत्र के नए थाने एवं चौकियों का सृजन जनशक्ति

जनपद	प्रस्तावित थाना व	प्रस्तावित जनशक्ति
------	-------------------	--------------------

का नाम	चौकी	नि री.	उ. नि.	हे. कां.	कां नि	कां. चा.	अनु गामी
चमोली	थाना पोखरी		2	1	11	1	1
	थाना थराली		2	1	11	1	1
	पुलिस चौकी देवाल			1	4	1	
	पुलिस चौकी धाट			1	4	1	
टिहरी	थाना धनसाली		2	1	11	1	1
गढ़वाल	रि0पु0 चौकी कैम्पी		1	1	8	1	1
पौड़ी गढ़वाल	रि0पु0 चौकी नीलकंठ		1	1	8	1	1
	योग		08	07	57	07	05

संलग्न-10

संख्या-1489 / गग -1 / 11 / पु0ई0नि0 / 2003
प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया

अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन
सेवा में,
पुलिस महानिदेशक
उत्तरांचल

गृह अनुभाग-1 देहरादून: दिनांक: 30 जून 2006

विषय- उत्तरांचल राज्य के विभिन्न जनपदों में पुलिस/
थाना/ चौकियों/ देखरेख चौकियों की स्थाना पदों का
सृजन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र
संख्या-डीजी-दो-52-2005(15) दिनांक 11, मार्च 2005 के संदर्भ
में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय,
उत्तरांचल राज्य के विभिन्न जनपदों में कुल 106 पुलिस
चौकियों/ देखरेख चौकियों का नियमितीकरण करते हुए संलग्न
विवरणानुसार 1148 निम्न अस्थाई पदों का सृजन की दिनांक 28
फरवरी 2007 तक सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र० सं०	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	उप निरीक्षक ना०पु०	67	5500-175-9000
2	हेड कानि०	110	3200-85-4900
3	कानि०	906	3050-75-3990-80-4590
4	कानि० (चालक)	4	3050-75-3990-80-4590
5	अनुगामी	61	2550-55-2660-60-3200

2- उक्त पद धारकों को मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो
समय-समय पर प्रसारित आदेश के अनुसार उन्हें अनुमन्य हो, देय
होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष
2006-2007 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत
लेखा शीर्षक 2055-पुलिस-00-109-जिला पुलिस-03-जिला
पुलिस मुख्य-00 की संसुगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला
जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-748/गगअप्प5द्ध 2006 दिनांक 3 जुलाई 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ह0 अपठित
(एस0एस0टोलिया)
अनुसचिव

संख्या-1489/गग -1/11/पु0ई0नि0/2003

उत्तरांचल राज्य के विभिन्न जनपदों में पुलिस/थाना/चौकियों/देखरेख चौकियों का नियमितीकरण, पदों का सृजन

जनपद	क0	प्रस्तावित थाना व चौकी	प्रस्तावित जनशक्ति
------	----	------------------------	--------------------

का नाम	सं०		नि री.	उ. नि.	हे. कां.	कां नि	कां. चा.	अनु गामी
पौड़ी गढवाल	58	रि०पु० चौकी श्रीकोट		1	1	8		1
	59	रि०पु० चौकी सबदरखाल		1	1	8		1
	60	देखरेख चौकी श्रीनगर			1	4		
	61	देख-रेख चौकी रामझूला			1	4		
	62	देख-रेख चौकी पौड़ी बाजार			1	4		
टिहरी गढवाल	63	रि०पु० चौकी ढालवाला		1	1	8		1
	64	रि०पु० चौकी हिण्डोलाखाल		1	1	8		1
	65	देख-रेख चौकी दुगडडा			1	4		
	66	देख-रेख चौकी बछेलीखाल			1	4		
	67	देख-रेख चौकी जाजल			1	4		
चमोली	68	रि०पु० चौकी लामबगड़		1	1	8		1
	69	रि०पु० चौकी मारवाड़ी		1	1	8		1
	70	रि०पु० चौकी घाघरिया		1	1	8		1
	71	रि०पु० चौकी मण्डल		1	1	8		1
	72	देख-रेख चौकी जुम्मा			1	4		
	73	देख-रेख चौकी टंगणी			1	4		
	74	देख रेख चौकी सिमली			1	4		

संलग्न-11

उत्तरांचल शासन
गृह अनुभाग-1
संख्या-2420/गग -1/11/पु०ई०नि०/2005
देहरादून: दिनांक 12 , अक्टूबर: 2006
अधिसूचना

श्री राज्यपाल , दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का2) की धारा 2 के खण्ड (घ) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस विषय में विद्यमान सभी आदेशों का अधिकमण करते हुए निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों को स्थानीय राजस्व क्षेत्र से हटाकर एतद्द्वारा थाना थराली (जनपद चमोली) के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

अनुसूची

क्र. सं.	थाना	ग्राम/मोहल्ले का नाम	तहसील	क्र. सं.	थाना	ग्राम/मोहल्ले का नाम	तहसील
1	थराली	नारायणबगड़	थराली	21	थराली	पूर्णा	थराली
2	तदैव	पन्ती	तदैव	22	तदैव	देवाल	तदैव
3	तदैव	मीग	तदैव	23	तदैव	सेलखोला	तदैव
4	तदैव	कुलसारी	तदैव	24	तदैव	कैल	तदैव
5	तदैव	सिमलसैण	तदैव	25	तदैव	इच्छोली	तदैव
6	तदैव	थराली	तदैव	26	तदैव	काण्डई	तदैव
7	तदैव	हरमनी	तदैव	27	तदैव	उलंग्रा	तदैव
8	तदैव	लोल्टी	तदैव	28	तदैव	हाटकल्याणी	तदैव
9	तदैव	थाला	तदैव	29	तदैव	फल्दियागांव	तदैव
10	तदैव	तलवाड़ी स्टेट	तदैव	30	तदैव	लवाणीबाजार एवंगांव	तदैव
11	तदैव	ग्वालदम	तदैव	31	तदैव	हरनी (बकरीगाड)	तदैव
12	तदैव	ताल	तदैव	32	तदैव	मुन्दोली	तदैव
13	तदैव	बुठाढांग	तदैव	33	तदैव	तलौर	तदैव
14	तदैव	रिंगालघेरा	तदैव	34	तदैव	पदमला	तदैव
15	तदैव	नलगांव	तदैव	35	तदैव	कोटेड़ा	तदैव
16	तदैव	तलवाड़ी खालसा	तदैव	36	तदैव	सुयालकोट (नलधूरा)	तदैव
17	तदैव	चेपड़ो	तदैव	37	तदैव	मेलखेत	तदैव
18	तदैव	कोठी	तदैव	38	तदैव	रैन	तदैव
19	तदैव	नन्दकेशरी	तदैव	39	तदैव	लोहजंग	तदैव
20	तदैव	उंणी	तदैव	40	तदैव	बोरागाड	तदैव

आज्ञा से
ह0 अपठित
(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव,गृह

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त ।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री,उत्तरांचल देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल,देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल,पौड़ी।
4. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र।
5. जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस अधीक्षक, चमोली।
6. उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद सहित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित 100 गजट प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-12

उत्तरांचल शासन
गृह अनुभाग-1

संख्या-2425 / गग -1 / 11 / पु0ई0नि0 / 2005
देहरादून: दिनांक 12 , अक्टूबर: 2006

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का2) की धारा 2 के खण्ड (घ) सपटित साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस विषय में विद्यमान सभी आदेशों का अधिकमण करते हुए निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों को स्थानीय राजस्व क्षेत्र से हटाकर एतद्द्वारा थाना पोखरी (जनपद चमोली) के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

अनुसूची

क्र. सं.	थाना	ग्राम/मोहल्ले का नाम	तहसील	क्र. सं.	थाना	ग्राम/मोहल्ले का नाम	तहसील
1	पोखरी	देवस्थान	पोखरी	12	पोखरी	किमोठा	पोखरी
2	तदैव	जोरासी	तदैव	13	तदैव	विशाल	तदैव
3	तदैव	महड	तदैव	14	तदैव	पाव	तदैव
4	तदैव	त्रिशूला	तदैव	15	तदैव	भिकोना	तदैव
5	तदैव	खाल	तदैव	16	तदैव	थालाबैण्ड	तदैव
6	तदैव	विनगढ़	तदैव	17	तदैव	बामणथाला	तदैव
7	तदैव	गुनियाला	तदैव	18	तदैव	खन्नी	तदैव
8	तदैव	मयाणी	तदैव	19	तदैव	वल्ली	तदैव
9	तदैव	पोखरी	तदैव	20	तदैव	बमथल	तदैव
10	तदैव	देवर वल्ला	तदैव	21	तदैव	सलना	तदैव
11	तदैव	देवर पल्ला	तदैव	22	तदैव	रडुवा	तदैव

आज्ञा से

ह0 अपटित
(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव, गृह

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल देहरादून।

2. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र।
5. जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस अधीक्षक, चमोली।
6. उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद सहित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित 100 गजट प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से
(भास्करानन्द)
अपर सचिव

संलग्न-13

उत्तरांचल शासन
गृह अनुभाग-1
संख्या-2421/गग -1/11/पु0ई0नि0/2005

देहरादून: दिनांक 12 , अक्टूबर:2006

अधिसूचना

श्री राज्यपाल , दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का2) की धारा 2 के खण्ड (घ) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस विषय में विद्यमान सभी आदेशों का अधिकमण करते हुए निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों को स्थानीय राजस्व क्षेत्र से हटाकर एतद्द्वारा थाना जोशीमठ (जनपद चमोली) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग पुलिस चौकी मारवाड़ी के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

अनुसूची

क्र. सं.	पुलिस चौकी	ग्राम/मोहल्ले का नाम	तहसील	क्र. सं.	पुलिस चौकी	ग्राम/मोहल्ले का नाम	तहसील
1	मारवाड़ी	मारवाड़ी	जोशीमठ	4	मारवाड़ी	बलदोड़ा	जोशीमठ
2	तदैव	सीतापुर चाई	तदैव	5	तदैव	पैंका	तदैव
3	तदैव	विष्णुप्रयाग	तदैव	6	तदैव	तालीनाल	तदैव

आज्ञा से

ह0 अपठित
(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव,गृह

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त ।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री,उत्तरांचल देहरादून ।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल,देहरादून ।

3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र।
5. जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस अधीक्षक, चमोली।
उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद सहित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित 100 गजट प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से
(भास्करानन्द)
अपर सचिव

संलग्न-14

उत्तरांचल शासन
गृह अनुभाग-1
संख्या-2422/गग -1/11/पु0ई0नि0/2005
देहरादून: दिनांक 12 , अक्टूबर: 2006

अधिसूचना

श्री राज्यपाल , दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का2) की धारा 2 के खण्ड (घ) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस विषय में विद्यमान सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों को स्थानीय राजस्व क्षेत्र से हटाकर एतद्वारा थाना जोशीमठ (जनपद चमोली) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग पुलिस चौकी लामबगड़ के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुसूची

क्र. सं.	पुलिस चौकी	ग्राम/मोहल्ले का नाम	तहसील	क्र. सं.	पुलिस चौकी	ग्राम/मोहल्ले का नाम	तहसील
1	लामबगड़	लामबगड़	जोशीमठ	5	लामबगड़	पिनोल	जोशीमठ
2	तदैव	विनायकचट्टी	तदैव	6	तदैव	अरुड़ी	तदैव
3	तदैव	पाण्डुकेश्वर	तदैव	7	तदैव	पट्टी	तदैव
4	तदैव	गोबिन्दघाट	तदैव	-	-	-	-

आज्ञा से

ह0 अपठित
(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव, गृह

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र।

5. जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस अधीक्षक, चमोली।
6. उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद सहित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित 100 गजट प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(भास्करानन्द)
अपर सचिव

संलग्न-15

उत्तरांचल शासन
गृह अनुभाग-1
संख्या-2423/गग -1/11/पु0ई0नि0/2005
देहरादून: दिनांक 12 , अक्टूबर: 2006

अधिसूचना

श्री राज्यपाल , दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का2) की धारा 2 के खण्ड (घ) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस विषय में विद्यमान सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों को स्थानीय राजस्व क्षेत्र से हटाकर एतद्द्वारा थाना जोशीमठ (जनपद चमोली) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग पुलिस चौकी घाघरिया के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

अनुसूची

क्र. सं.	पुलिस चौकी	ग्राम/ मोहल्ले का नाम	तहसील	क्र. सं.	पुलिस चौकी	ग्राम/ मोहल्ले का नाम	तहसील
1	घाघरिया	घाघरिया	जोशीमठ	3.	घाघरिया	पुलना	जोशीमठ
2	तदैव	भ्यूंडार	तदैव	—	—	—	—

आज्ञा से

ह0 अपठित
(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव, गृह

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त ।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल देहरादून ।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून ।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।

4. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र।
5. जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस अधीक्षक, चमोली।
6. उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद सहित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित 100 गजट प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से
(भास्करानन्द)
अपर सचिव

संलग्न-16

उत्तरांचल शासन
गृह अनुभाग-1
संख्या-2424/गग -1/11/पु0ई0नि0/2005
देहरादून: दिनांक 12 , अक्टूबर: 2006
अधिसूचना

श्री राज्यपाल , दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का2) की धारा 2 के खण्ड (घ) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस विषय में विद्यमान सभी आदेशों का अधिकमण करते हुए निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों को स्थानीय राजस्व क्षेत्र से हटाकर एतद्द्वारा थाना गोपेश्वर (जनपद चमोली) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग पुलिस चौकी मण्डल के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुसूची

क्र. सं.	पुलिस चौकी	ग्राम/ मोहल्ले का नाम	तहसील	क्र. सं.	पुलिस चौकी	ग्राम/ मोहल्ले का नाम	तहसील
1	मण्डल	मण्डल	चमोली	8.	मण्डल	धनोली	चमोली
2	तदैव	धोतीधार	तदैव	9.	तदैव	खल्ला	तदैव
3	तदैव	खिखन	तदैव	10	तदैव	कोटेश्वर	तदैव
4	तदैव	देवलधार	तदैव	11	तदैव	बणद्वारा	तदैव
5.	तदैव	सिरोली	तदैव	12	तदैव	बैरांगना	तदैव
6.	तदैव	मकरोली	तदैव	13	तदैव	भदकोटी	तदैव
7.	तदैव	अनुसूया	तदैव	14	तदैव	कुनकुली	तदैव

आज्ञा से

ह0 अपठित
(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव, गृह

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल देहरादून ।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून ।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।

4. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र।
5. जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस अधीक्षक, चमोली।
6. उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रूड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद सहित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित 100 गजट प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(भास्करानन्द)
अपर सचिव

संलग्न-17

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण -विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर:2004

अधिसूचना

सा.का.नि.संख्या..... भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उत्तरांचल सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात्—

1. (प) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन छटा संशोधन विनियमावली 2004 है।

(पप) ये विनियम भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2— भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में " उत्तरांचल " शीर्षक और उसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा

, अर्थात्—

उत्तरांचल

1— राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	33
पुलिस महानिदेशक	1
पुलिस अपर महानिदेशक, प्रशासन	1
पुलिस अपर महानिदेशक, सी.आई.डी.	1
पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय	1
पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, कानून और व्यवस्था	1
पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण	1
पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना और सुरक्षा	1
पुलिस महानिरीक्षक, व्यवस्था और आधुनिकीकरण	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, सुरक्षा	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, गढ़वाल क्षेत्र	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, कुमांऊ क्षेत्र	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध और सतर्कता	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, पी.ए.सी.	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, आसूचना	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आई.डी.	1
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून	1
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल	1

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरद्वार	1
पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़	1
पुलिस अधीक्षक, अलमोड़ा	1
पुलिस अधीक्षक, पौड़ी	1
पुलिस अधीक्षक, टिहरी	1
पुलिस अधीक्षक, चमोली	1
पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी	1
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधम सिंह नगर	1
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत	1
पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर	1
पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग	1
कमांडेंट 31वीं वाहिनी पी.ए.सी. रुद्रपुर ऊधमसिहनगर	1
कमांडेंट 40वीं वाहिनी पी.ए.सी. हरिद्वार	1
कमांडेंट 46वीं वाहिनी पी.ए.सी. रुद्रपुर ऊधमसिहनगर	1
कमांडेंट , पी.ए.सी. (इंडिया रिजर्व बटालियन)	1
कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	33
2. उपयुक्त मद संख्या 1 का 40 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	13
3. उपयुक्त मद संख्या 1 का 25 प्रतिशत की दर से राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	08
4. उपयुक्त मद संख्या 1 का 3.5 प्रतिशत की दर से प्रशिक्षण रिजर्व	01
5. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली,1954 के नियम 9 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपयुक्त मद संख्या 1,2,3 तथा 4 के 33.33. प्रतिशत की दर से अधिक नहीं	18
6. उपयुक्त मद संख्या 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व	05
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+6.5)	42

सीधी भर्ती के पद	42
पदोन्नति वाले पद	18
कुल प्राधिकृत संख्या	

60

(केशव देसिराजु)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व भारतीय पुलिस सेवा के उत्तरांचल संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 42 थी।

संलग्न-18

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग-1
संख्या :-2329-77/8-1-7-75
लखनऊ : दिनांक : 27 जनवरी, 1976

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार को यह परामर्श दिया गया है कि शेडयूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश संख्या: 418आफ-1916 तथा दिनांक 7 मार्च, 1916 तथा टेहरी गढ़वाल राजस्व पदाधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम 1956 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश संख्या-1066/आठ-184-54 दिनांक 4 मार्च 1958 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनमें उल्लिखित शक्तियों का राजस्व पदाधारियों द्वारा प्रयोग पुलिस ऐक्ट 1861 के अन्तर्गत भर्ती किये गये पुलिस अधिकारियों की सामान्य शक्तियों के अतिरिक्त है।

2- चूंकि राज्य सरकार को यह भी परामर्श दिया गया है कि उक्त आदेशों का तात्पर्य दूसरे शब्दों में यह है कि राजस्व पुलिस क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले अपराधों के मामलों में सिविल अथवा रेगुलर संवर्ती रूप से पुलिस की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और

3- यह भी परामर्श दिया गया है कि उक्त आदेशों का तात्पर्य यह नहीं है कि राजस्व पुलिस के क्षेत्राधिकार में रखे गये क्षेत्रों में केवल राजस्व पदाधिकारी ही पुलिस की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे अथवा सिविल अथवा रेगुलर पुलिस को ऐसे क्षेत्रों में शक्तियों के प्रयोग से वंचित रखा गया हो।

4- अतः अधिसूचना संख्या यू0ओ0 126/आठ-क-83(7)-71 गोपन दिनांक 17 फरवरी, 1971 एवं तत्सम्बन्धी शुद्धि पत्र संख्या 2119(आठ-क) दिनांक 19 फरवरी, 1971 का तथा रेगुलर पुलिस द्वारा राजस्व (रेवेन्यू) पुलिस के क्षेत्राधिकारी में हस्तक्षेप न किये जाने के सम्बन्ध में जारी किये गये सभी शासनादेशों का अतिक्रमण करते हुए पुलिस ऐक्ट 1861 (ऐक्ट संख्या 5, 1861) की धारा 3 तथा टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदाधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम की धारा 2 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस

अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित के दिनांक से चमोली, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल तथा देहरादून के राजस्व (रेवेन्यू) पुलिस के कार्य क्षेत्र में राजस्व पदाधारियों द्वारा किस विधि तथा आदेश के अधीन के प्रयोग किये जाने वाले अधिकारों के होते हुए भी उक्त जिलों के जिला

मजिस्ट्रेटों को, उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राजस्व पुलिस के कार्यक्षेत्र में होने वाले किसी भी जघन्य अथवा जटिल अपराध का अनुसन्धान सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक अथवा प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक से परामर्श करके जिसके बारे में जिला मजिस्ट्रेटों का यह लिखित मन्तव्य हो कि अनुसंधान राजस्व पुलिस के स्थान पर रेगुलर पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त होगा, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट संख्या 2, 1974) के अन्तर्गत राजस्व पुलिस रेगुलर पुलिस को हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्राधिकृत करते हैं। जिलाधिकारी द्वारा रेगुलर पुलिस के माध्यम से अनुसंधान किये जाने का आदेश पुलिस उपाधीक्षक प्रभारी या पुलिस अधीक्षक को भेजा जायेगा और ऐसी स्थिति में केस डायरी पुलिस उपाधीक्षक प्रभारी या पुलिस अधीक्षक के पास भेजी जायेंगी और मुकदमें के अनुसन्धान का पर्यवेक्षक सम्बद्ध पुलिस अधिकारी करेंगे।

5— संदेह निवारण के लिये यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी गम्भीर परिस्थिति में उपर्युक्त जिला मजिस्ट्रेट राजस्व पुलिस क्षेत्र में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए सिविल पुलिस अधिकारी अथवा पी0ए0सी0 फोर्स तैनात करने का प्रबन्ध कर सकता है और ऐसी स्थिति में सम्बन्धित पुलिस अधिकारी सिविल पुलिस अथवा पी0ए0सी0 फोर्स की व्यवस्था करेगा। ऐसी स्थिति में इन जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स उसी प्रकार तैनात

की जायेगी जिस प्रकार मैदानी क्षेत्रों में जिस प्रकार की जाती है। परन्तु अन्तर केवल इतना होगा कि मैदानी क्षेत्रों में जिस प्रकार फालो अप की कार्यवाही थानाध्यक्ष द्वारा की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में वहां राजस्व पुलिस है, फालो अप की कार्यवाही सम्बन्धित

राजस्व पुलिस द्वारा की जायेगी यदि ऊपर चार के अनुसार अन्यथा निर्णय न ले लिया गया हो।

आज्ञा से,

ह0/-शशिभूषण शरण,
गृह सचिव।

टिप्पणी :- उपर्युक्त अधिसूचना राजविधन मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष, जबकि उनका सत्र चल रहा था, 30 दिनों के अन्यून अवधि के लिए रखी गयी है, और उस अवधि के भीतर किसी भी सदन से संशोधन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

संख्या : 2329(1)/आठ-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त अधिसूचना राजकीय गजट में प्रकाश के साथ ही जिा मजिस्ट्रेट, टेहरी गढ़वाल को सम्बोधित शासकीय आदेश संख्या : 4641/आठ-क-300(16)/70 दिनांक 28 अगस्त, 1977 तथा शासकीय आदेश संख्या 10257(1)/आठ-क-300(16)/70 दिनांक 21 नवम्बर, 1970 में जारी किये गये आदेश निरस्त किये जाते हैं।

1. जिला मजिस्ट्रेट, चमोली, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून तथा नैनीताल।
2. पुलिस अधीक्षक, चमोली, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून तथा नैनीताल।
3. आयुक्त, कुमाऊ तथा गढ़वाल मण्डल।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊ परिक्षेत्र नैनीताल।

5. पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र पौड़ी।
6. पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. महानिरीक्षक, पी0ए0सी0 महानगर, लखनऊ।
8. गृह (पुलिस) अनुभाग-3, 4 तथा ।।
9. अधीक्षक, राजकीय मुद्रालय, इलाहबाद को राजकीय गजट के अगले संस्करण में प्रकाशनार्थ। प्रकाशित विज्ञप्ति की 5 प्रतियां इस अनुभाग को प्रेषित की जाँय।

आज्ञा से
ह0/- रमेश चंद्र दीक्षित
संयुक्त सचिव

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि' जिलाधिकारी, चमोली।